विशेषांक

दीप कमल

जनवरी -2025, ₹ 10.00

...जय संविधान

शंखनाद

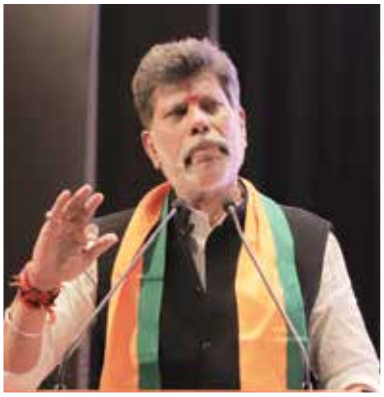

दीप कमल

वर्ष-21, अंक-1, जनवरी 2025

संपादक
पंकज कुमार झा

प्रबंध संपादक
हेमंत पाणिग्रही

मुद्रक एवं प्रकाशक
किरण देव द्वारा, भारतीय जनता पार्टी, छत्तीसगढ़ के लिए, विश्व परिवार से मुद्रित एवं कुशाभाऊ ठाकरे परिसर, बोरियाकला, रायपुर से प्रकाशित।

पत्रिका दीप कमल के इस अंक का पीडीएफ प्राप्त करने के लिए कृपया QR कोड स्केन करें।

www.deepkamal.online

स्वत्वाधिकारी
भारतीय जनता पार्टी, छत्तीसगढ़

mydeepkamal@gmail.com
0771-2233500, 2233511
92016-33511

सोशल मीडिया से

Narendra Modi
5h

अयोध्या में रामलला की प्राण-प्रतिष्ठा की प्रथम वर्षगांठ पर समस्त देशवासियों को बहुत-बहुत शुभकामनाएं। सदियों के त्याग, तपस्या और संघर्ष से बना यह मंदिर हमारी संस्कृति और अध्यात्म की महान धरोहर है। मुझे विश्वास है कि यह दिव्य-भव्य राम मंदिर विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि में एक बड़ी प्रेरणा बनेगा।

J.P.Nadda
Dec 25, 2024

भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य, पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी पर आज नई दिल्ली स्थित 'सदैव अटल' स्मृति स्थल जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर नमन किया।

सेवा एवं सुशासन को समर्पित उनका जीवन दर्शन हम सभी के लिए पाथेय है। उनके कार्य एवं विचार, देश व जनसेवा हेतु सदैव हमारा मार्ग प्रशस्त करते रहेंगे।

Amit Shah
Reels · Reels · Dec 20, 2024

छत्तीसगढ़ के बीजापुर में गुण्डम फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस का दौरा कर जवानों के साथ संवाद किया। हमारे सुरक्षा बल के जवान नक्सलियों के गढ़ को ध्वस्त कर नक्सलवाद प्रभावित इलाकों को सुरक्षित करने का काम कर रहे हैं।#NaxalFreeBharat #NaxalMuktBharat #Chhattisgarh

Vishnu Deo Sai
3d

भगवान श्री राजीव लोचन की अनन्य भक्त, राजिम भक्तिन माता त्याग और तपस्या की प्रतिमूर्ति है। साहू समाज की गौरव होने के साथ-साथ वे सभी समाज के लिए प्रेरणास्त्रोत हैं।

आज छत्तीसगढ़ के प्रयागराज के नाम से प्रसिद्ध, धर्मनगरी राजिम में आयोजित "राजिम भक्तिन माता जयंती समारोह" में सम्मिलित होकर संत शिरोमणि राजिम माता का आशीर्वाद प्राप्त किया।

इस अवसर पर नगर में राजिम भक्तिन माता की कांस्य की प्रतिमा स्थापित करने हेतु 5 करोड़ रुपए देने की घोषणा की।

कार्यक्रम में केंद्रीय राज्यमंत्री श्री तोखन साहू जी, उपमुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी, महासमुंद सांसद श्रीमती रूपकुमारी चौधरी जी, विधायक साधी एवं अन्य गणमान्य जन उपस्थित रहे।

Tokhan Sahu Arun Sao Roopkumari Choudhary

Kiran Singh Deo
Dec 25, 2024

आज भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर, रायपुर में हम सभी के पथ प्रदर्शक, पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी वर्ष पर क्षेत्रीय संगठन महामंत्री माननीय श्री Ajay Jamwal जी एवं प्रदेश संगठन महामंत्री श्री पवन साय जी के साथ स्मृति मंदिर में अटल जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर नमन किया।

इस अवसर पर भाजपा प्रदेश कोषाध्यक्ष श्री Nandan Jain जी, प्रदेश कार्यालय प्रभारी श्री नरेश गुप्ता जी एवं वरिष्ठ पदाधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्तागण उपस्थित रहे।

#सुशासन_दिवस
#अटल_जन्मशताब्दी_वर्ष
#AtalJanmShatabdi

Vijay Sharma
3d

भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ द्वारा प्रदेश के नए जिला अध्यक्षों की घोषणा पर सभी नव-नियुक्त जिला अध्यक्षों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।

आपके नेतृत्व में पार्टी और अधिक सशक्त होगी और संगठनात्मक कार्यों को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। आपके उज्ज्वल कार्यकाल की शुभकामनाएं!
#BJPChhattisgarh

Bharatiya Janata Party (BJP) PMO India Narendra Modi Ajay Jamwal Shivprakash Nitin Nabin Amit Shah CMO Chhattisgarh Pawan Kumar Sai Vishnu Deo Sai Mansukh Mandaviya Kiran Singh Deo J.P.Nadda Anurag Singh Thakur

हम भारत के लोग....

कांग्रेस के बावजूद हमारा संविधान सफल है। यह गणतंत्र अजर है।

संविधान शब्द का शाब्दिक अर्थ ही होता है ऐसा विधान जो सम हो, अर्थात सबके लिए समान रूप से लागू होता हो। समता और समानता ही किसी भी संविधान का हेतु होता है, या यूं कहें कि किसी भी संविधान का साफल्य ही यही है, उसकी कसौटी ही यह होना चाहिए कि उससे समानता और बंधुत्व को बढ़ावा मिल रहा है या नहीं। हर प्रकार की विषमता के विरुद्ध संविधान एक प्रकाश पुंज है, एक दीया है जिसके प्रकाश में समाज को विसंगतियों रुपी अंधकार से पार पाना होता है। इस कसौटी पर अगर हम भारतीय संविधान को कसें तो यह कहा जा सकता है कि कुछेक अपवादों को छोड़ दें तो हमारा संविधान ऐतिहासिक रूप से सफल हुआ है, सफल रहा है। यह कहने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि भारतीय संविधान की यह सफलता आज के कांग्रेस के कारण नहीं अपितु उसके बावजूद हुआ है।

पग-पग पर लोकतंत्र के साथ खिलवाड़, संविधान की आत्मा की हत्या का प्रयास, 80 से अधिक संशोधन कर उसे तोड़-मरोड़ कर कांग्रेस ने अपने लगभग 6 दशक के शासन के दौरान हमेशा ही बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की आत्मा के साथ खिलवाड़ किया है। दर्जनों बार चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त कर, मुख्यमंत्रियों को कैलेण्डर की तरह बदलते हुए, एक परिवार के हित पर आंच आने पर, महज एक मुकदमा हार जाने पर समूचे देश में आपातकाल थोप देने वाली ताकतें आज अगर संविधान की बात करती फिर रही है, संविधान निर्माता बाबा साहेब को कदम-कदम पर अपमानित लांछित करते वाले नेहरू की औलादें आज अगर सिर पर संविधान लिए फिर रही हैं, तो समझा जा सकता है कि बाबा साहेब ने इस समाज को संविधान के रूप में कैसी सुंदर और सशक्त विरासत हमें सौंपी है।

बात चाहे देश के भीतर ही 'पाकिस्तान' बना देने की हो, एक देश में अनेक विधान लागू कर देने की अनुच्छेद 370 थोपने की या फिर संसद की आंख में धूल झोंकते हुए 35 ए जैसे प्रावधानों को जोड़ने की, आपातकाल लगा कर उसका लाभ उठाते

भये प्रगट कृपाला दीनदयाला...

हुए संविधान की प्रस्तावना तक को दूषित कर देने की हो या फिर पैसे देकर वोट खरीदते रंगे हाथ पकड़े जाने की, कांग्रेस ने कदम-कदम पर भारतीय संविधान से खिलवाड़ किया है। हमेशा एक परिवार के हित में समूचे देश को झोंक कर, संविधान निर्माता, राष्ट्र निर्माताओं के योगदान को नजरअंदाज करते हुए एक नकली उपनाम लगा कर जिस तरह कांग्रेस द्वारा देश में भ्रष्ट आचरण को बढ़ावा दिया गया, वह निस्संदेह भारत के कलंकित अध्यायों में से एक है।

स्वतंत्र भरात में सत्ता पाते ही कांग्रेस ने जिस तरह संविधान को अपने स्वार्थों के लिए मखौल बनाना शुरू किया, जिस तरह सत्ता का दुरूपयोग कर संविधान को निष्प्रभावी करने की कोशिश हुई, उससे बाबा साहेब किस तरह आहत हुए यह राज्यसभा में 19 मार्च 1955 को दिए भाषण के अंश से समझा जा सकता है। बाबा साहेब ने कहा था – **"हमने भगवान के रहने के लिए एक मंदिर बनाया पर इससे पहले कि भगवान उसमें आकर रहते, एक राक्षस आकर उसमें रहने लगा। हमने इसे असुरों के रहने के लिए तो नहीं बनाया था। हमने इसे देवताओं के लिए बनाया था।"** ऐसे देवताओं के लिए बने मंदिर, जिसे हम संविधान कहते हैं, में घुसपैठ कर कांग्रेस ने देश की अस्मिता को कलंकित किया, हमेशा संविधान को समाप्त करने की साजिश रची, किंतु यह संविधान में निहित शक्तियां ही थी, विश्व भर के अच्छे विचारों को समाहित कर लेने की संस्कृति, 'कृण्वन्तो विश्वमार्यम' की विचारधारा को आत्मार्पित कर आगे बढ़ने की ताकत ही थी जिसके कारण अनेक झंझावातों के बावजूद हमारा संविधान टिका रहा, चिरंजीवी रहा, आगे भी रहेगा ही।

> "हमने भगवान के रहने के लिए एक मंदिर बनाया पर इससे पहले कि भगवान उसमें आकर रहते, एक राक्षस आकर उसमें रहने लगा। हमने इसे असुरों के रहने के लिए तो नहीं बनाया था। हमने इसे देवताओं के लिए बनाया था।"
> -बाबा साहेब

देश भर से ठुकराने जाने के बाद विवशता में भले कांग्रेस आज संविधान को सर पर लिए चलने का पाखंड कर रही हो, लेकिन सच्चाई यह है कि बाबा साहेब को अपमानित करते रहने का उसका कलंकित इतिहास रहा है। बात चाहे अम्बेडकर जी को उन्हीं के बनाए संविधान से निर्मित लोकसभा में नहीं पहुचने देने की हो, लोकसभा का चुनाव हरा देने की हो, बाबा साहेब की हार पर नेहरूजी द्वारा खुशी व्यक्त करने की हो या फिर उससे पहले उन्हें (और डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी) मंत्रिमंडल से निकल जाने पर विवश करने की, आपातकाल लगाने, चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त करने की, जिसका जिक्र ऊपर है, कांग्रेस की कथनी और करनी में हमेशा की तरह बहुत फर्क रहा है। हमेशा की तरह कांग्रेस का दोहरा आचरण, उसकी झूठ और दुष्प्रचार ने एक धुंध पैदा करने की कोशिश की है, हालांकि सोशल मीडिया के इस जमाने में कांग्रेस के फरेब रुपी काठ की हांडी फिर से चढ़ने वाली नहीं है, यह तय है। जैसा कि एक बड़े राजनीतिज्ञ ने कहा था – आप कुछ लोगों को हमेशा के लिए बेवकूफ बना सकते हैं, सभी लोगों को कुछ समय के लिए बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन सभी को हमेशा के लिए बेवकूफ बनाना संभव नहीं है। निस्संदेह अब कांग्रेस के काठ की हांडी को अब जल जाना ही होगा।

इसके उलट भाजपा की, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी की हमेशा कोशिश रही है कि संविधान रूपी मंदिर को वास्तव में देवताओं के रहने योग्य ही बनाया जाय, जैसा कि बाबा साहेब का विचार था। अम्बेडकर जी की स्मृति को समादृत और चिरस्थायी रखने के लिए पंचतीर्थ आदि बना कर, देश के अंतिम व्यक्ति के हृदय में भारत भाव जागृत करने उन्हें मुख्यधारा में लाने की भाजपा समर्थित सरकार द्वारा बाबा साहेब को भारत रत्न देने की हो या संविधान दिवस मनाये जाने की, एक गरीब पिछड़ा वर्ग से आने वाले मोदीजी आज प्रधानमंत्री के रूप में हर वह कार्य कर परिश्रम की पराकाष्ठा करने तत्पर है, जैसा संविधान निर्माताओं की सोच थी।

भारत को गणतंत्र घोषित हुए, देश में संविधान लागू हुए अब 75 वर्ष होने जा रहे हैं। इस हीरक जयंती वर्ष के अवसर पर इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि आज भारत की राष्ट्रपति जहां जनजाति समाज की श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं तो इससे पहले दलित समाज से आने वाले श्री रामनाथ कोबिंद थे। यह संविधान की सफलता ही है कि यशस्वी प्रधानमंत्री ओबीसी सामाज से हैं। आज सबसे अधिक अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग की सत्ता में भागीदारी होना भारत के मूल समावेशी स्वभाव को दर्शाता है। यह स्वभाव हमारी परम्परा और संस्कृति से आया है। यह ताकत निस्संदेह बाबा साहेब के संविधान से ही आया है। पुनः यह कहना होगा कि ऐसा कांग्रेस के बावजूद हुआ है।

गणतंत्र के 75 वें वर्ष पर अशेष शुभकमनाएं...।•••

Email: mydeepkamal@gmail.com

पंकज...

@pankaj_media

राष्ट्र निर्माण के 'अटल' आदर्श की शताब्दी

नरेन्द्र मोदी

मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं...लौटकर आऊंगा, कूच से क्यों डरूं? अटल जी के ये शब्द कितने साहसी हैं...कितने गूढ़ हैं। अटल जी, कूच से नहीं डरे...उन जैसे व्यक्तित्व को किसी से डर लगता भी नहीं था। वो ये भी कहते थे... जीवन बंजारों का डेरा आज यहां, कल कहां कूच है..कौन जानता किधर सवेरा... आज अगर वो हमारे बीच होते, तो वो अपने जन्मदिन पर नया सवेरा देख रहे होते। मैं वो दिन नहीं भूलता जब उन्होंने मुझे पास बुलाकर अंकवार में भर लिया था...और जोर से पीठ में धौल जमा दी थी। वो स्नेह...वो अपनत्व...वो प्रेम...मेरे जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है।

आज 25 दिसंबर का ये दिन भारतीय राजनीति और भारतीय जनमानस के लिए एक तरह से सुशासन का अटल दिवस है। आज पूरा देश अपने भारत रत्न अटल को, उस आदर्श विभूति के रूप में याद कर रहा है, जिन्होंने अपनी सौम्यता, सहजता और सहृदयता से करोड़ों भारतीयों के मन में जगह बनाई। पूरा देश उनके योगदान के प्रति कृतज्ञ है। उनकी राजनीति के प्रति कृतार्थ है।

21वीं सदी को भारत की सदी बनाने के लिए उनकी एनडीए सरकार ने जो कदम उठाए, उसने देश को एक नई दिशा, नई गति दी। 1998 के जिस काल में उन्होंने पीएम पद संभाला, उस दौर में पूरा देश राजनीतिक अस्थिरता से घिरा हुआ था। 9 साल में देश ने चार बार लोकसभा के चुनाव देखे थे। लोगों को शंका थी कि ये सरकार भी उनकी उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाएगी। ऐसे समय में एक सामान्य परिवार से आने वाले अटल जी ने, देश को स्थिरता और सुशासन का मॉडल दिया। भारत को नव विकास की गारंटी दी।

वो ऐसे नेता थे, जिनका प्रभाव भी आज तक अटल है। वो भविष्य के भारत के परिकल्पना पुरुष थे। उनकी सरकार ने देश को आईटी, टेलीकम्यूनिकेशन और दूरसंचार की दुनिया में तेजी से आगे बढ़ाया। उनके शासन काल में ही, एनडीए ने टेक्नॉलजी को सामान्य मानवी की पहुंच तक लाने का काम शुरू किया। भारत के दूर-दराज के इलाकों को बड़े शहरों से जोड़ने के सफल प्रयास किये गए। वाजपेयी जी की सरकार में शुरू हुई जिस स्वर्णिम चतुर्भुज योजना ने भारत के महानगरों को एक सूत्र में जोड़ा वो आज भी लोगों की स्मृतियों पर अमिट है। लोकल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए भी एनडीए गठबंधन की सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसे कार्यक्रम शुरू किए। उनके शासन काल में दिल्ली मेट्रो शुरू हुई, जिसका विस्तार आज हमारी सरकार एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के रूप में कर रही है। ऐसे ही प्रयासों से उन्होंने ना सिर्फ आर्थिक प्रगति को नई शक्ति दी, बल्कि दूर-दराज के क्षेत्रों को एक दूसरे से जोड़कर भारत की एकता को भी सशक्त किया।

जब भी सर्व शिक्षा अभियान की बात होती है, तो अटल जी की सरकार का जिक्र जरूर होता है। शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता मानने वाले वाजपेयी जी ने एक ऐसे भारत का सपना देखा था, जहां हर व्यक्ति को आधुनिक और गुणवत्ता वाली शिक्षा मिले। वो चाहते थे भारत के वर्ग, यानि ओबीसी, एससी, एसटी, आदिवासी और महिला सभी के लिए शिक्षा सहज और सुलभ बने।

उनकी सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए कई बड़े आर्थिक सुधार किए। इन सुधारों के कारण भाई-भतीजावाद में फंसी देश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिली। उस दौर की सरकार के समय में जो नीतियां

भये प्रगट कृपाला दीनदयाला...

बनीं, उनका मूल उद्देश्य सामान्य मानवी के जीवन को बदलना ही रहा।

उनकी सरकार के कई ऐसे अद्भुत और साहसी उदाहरण हैं, जिन्हें आज भी हम देशवासी गर्व से याद करते है। देश को अब भी 11 मई 1998 का वो गौरव दिवस याद है, एनडीए सरकार बनने के कुछ ही दिन बाद पोकरण में सफल परमाणु परीक्षण हुआ। इसे 'ऑपरेशन शक्ति' का नाम दिया गया। इस परीक्षण के बाद दुनियाभर में भारत के वैज्ञानिकों को लेकर चर्चा होने लगी। इस बीच कई देशों ने खुलकर नाराजगी जताई, लेकिन तब की सरकार ने किसी दबाव की परवाह नहीं की। पीछे हटने की जगह 13 मई को न्यूक्लियर टेस्ट का एक और धमाका कर दिया गया। 11 मई को हुए परीक्षण ने तो दुनिया को भारत के वैज्ञानिकों की शक्ति से परिचय कराया था। लेकिन 13 मई को हुए परीक्षण ने दुनिया को ये दिखाया कि भारत का नेतृत्व एक ऐसे नेता के हाथ में है, जो एक अलग मिट्टी से बना है।

उन्होंने पूरी दुनिया को ये संदेश दिया, ये पुराना भारत नहीं है। पूरी दुनिया जान चुकी थी, कि भारत अब दबाव में आने वाला देश नहीं है। इस परमाणु परीक्षण की वजह से देश पर प्रतिबंध भी लगे, लेकिन देश ने सबका मुकाबला किया।

वाजपेयी सरकार के शासन काल में कई बार सुरक्षा संबंधी चुनौतियां आईं। करगिल युद्ध का दौर आया। संसद पर आतंकियों ने कायरना प्रहार किया। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमले से वैश्विक स्थितियां बदलीं, लेकिन हर स्थिति में अटल जी के लिए भारत और भारत का हित सर्वोपरि रहा।

जब भी आप वाजपेयी जी के व्यक्तित्व के बारे में किसी से बात करेंगे तो वो यही कहेगा कि वो लोगों को अपनी तरफ खींच लेते थे। उनकी बोलने की कला का कोई सानी नहीं था। कविताओं और शब्दों में उनका कोई जवाब नहीं था। विरोधी भी वाजपेयी जी के भाषणों के मुरीद थे। युवा सांसदों के लिए वो चर्चाएं सीखने का माध्यम बनतीं।

कुछ सांसदों की संख्या लेकर भी, वो कांग्रेस की कुनीतियों का प्रखर विरोध करने में सफल होते। भारतीय राजनीति में वाजपेयी जी ने दिखाया, ईमानदारी और नीतिगत स्पष्टता का अर्थ क्या है।

संसद में कहा गया उनका ये वाक्य... सरकारें आएंगी, जाएंगी, पार्टियां बनेंगी, बिगड़ेंगी मगर ये देश रहना चाहिए...आज भी मंत्र की तरह हम सबके मन में गूंजता रहता है।

वो भारतीय लोकतंत्र को समझते थे। वो ये भी जानते थे कि लोकतंत्र का मजबूत रहना कितना जरुरी है। आपातकाल के समय उन्होंने दमनकारी कांग्रेस सरकार का जमकर विरोध किया, यातनाएं झेली। जेल जाकर भी संविधान के हित का संकल्प दोहराया। NDA की स्थापना के साथ उन्होंने गठबंधन की राजनीति को नए सिरे से परिभाषित किया। वो अनेक दलों को साथ लाए और NDA को विकास, देश की प्रगति और क्षेत्रीय आकांक्षाओं का प्रतिनिधि बनाया।

पीएम पद पर रहते हुए उन्होंने विपक्ष की आलोचनाओं का जवाब हमेशा बेहतरीन तरीके से दिया। वो ज्यादातर समय विपक्षी दल में रहे, लेकिन नीतियों का विरोध तर्कों और शब्दों से किया। एक समय उन्हें कांग्रेस ने गद्दार तक कह दिया था, उसके बाद भी उन्होंने कभी असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया।

उन में सत्ता की लालसा नहीं थी। 1996 में उन्होंने जोड़-तोड़ की राजनीति ना चुनकर, इस्तीफा देने का रास्ता चुन लिया। राजनीतिक षड्यंत्रों के कारण 1999 में उन्हें सिर्फ एक वोट के अंतर के कारण पद से इस्तीफा देना पड़ा। कई लोगों ने उनसे इस तरह की अनैतिक राजनीति को चुनौती देने के लिए कहा, लेकिन पीएम अटल बिहारी वाजपेयी शुचिता की राजनीति पर चले। अगले चुनाव में उन्होंने मजबूत जनादेश के साथ वापसी की।

संविधान के मूल्य संरक्षण में भी, उनके जैसा कोई नहीं था। डॉ. श्यामा प्रसाद के निधन का उनपर बहुत प्रभाव पड़ा था। वो आपात के खिलाफ लड़ाई का भी बड़ा चेहरा बने। इमरजेंसी केबाद 1977 के चुनाव से पहले उन्होंने 'जनसंघ' का जनता पार्टी में विलय करने पर भी सहमति जता दी। मैं जानता हूं कि ये निर्णय सहज नहीं रहा होगा, लेकिन वाजपेयी जी के लिए हर राष्ट्रभक्त कार्यकर्ता की तरह दल से बड़ा देश था, संगठन से बड़ा, संविधान था।

हम सब जानते हैं, अटल जी को भारतीय संस्कृति से भी बहुत लगाव था। भारत के विदेश मंत्री बनने के बाद जब संयुक्त राष्ट्र संघ में भाषण देने का अवसर आया, तो उन्होंने अपनी हिंदी से पूरे देश को खुद से जोड़ा। पहली बार किसी ने हिंदी में संयुक्त राष्ट्र में अपनी बात कही। उन्होंने भारत की विरासत को विश्व पटल पर रखा। उन्होंने सामान्य भारतीय की भाषा को संयुक्त राष्ट्र के मंच तक पहुंचाया।

राजनीतिक जीवन में होने के बाद भी, वो साहित्य और अभिव्यक्ति से जुड़े रहे। वो एक ऐसे कवि और लेखक थे, जिनके शब्द हर विपरीत स्थिति में व्यक्ति को आशा और नव सृजन की प्रेरणा देते थे। वो हर उम्र के भारतीय के प्रिय थे। हर वर्ग के अपने थे।

मेरे जैसे भारतीय जनता पार्टी के असंख्य कार्यकर्ताओं को उनसे सीखने का, उनके साथ काम करने का, उनसे संवाद करने का अवसर मिला। अगर आज बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है तो इसका श्रेय उस अटल आधार को है, जिसपर ये दृढ़ संगठन खड़ा है।

उन्होंने बीजेपी की नींव तब रखी, जब कांग्रेस जैसी पार्टी का विकल्प बनना आसान नहीं था। उनका नेतृत्व, उनकी राजनीतिक दक्षता, साहस और लोकतंत्र के प्रति उनके अगाध समर्पण ने बीजेपी को भारत की लोकप्रिय पार्टी के रूप में प्रशस्त किया। श्री लालकृष्ण आडवाणी और डॉ. मुरली मनोहर जोशी जैसे दिग्गजों के साथ, उन्होंने पार्टी को अनेक चुनौतियों से निकालकर सफलता के सोपान तक पहुंचाया।

जब भी सत्ता और विचारधारा के बीच एक को चुनने की स्थितियां आईं, उन्होंने इस चुनाव में विचारधारा को खुले मन से चुन लिया। वो देश को ये समझाने में सफल हुए कि कांग्रेस के दृष्टिकोण से अलग एक वैकल्पिक वैश्विक दृष्टिकोण संभव है। ऐसा दृष्टिकोण वास्तव में परिणाम दे सकता है।

आज उनका रोपित बीज, एक वटवृक्ष बनकर राष्ट्र सेवा की नव पीढ़ी को रच रहा है। अटल जी की 100वीं जयंती, भारत में सुशासन के एक राष्ट्र पुरुष की जयंती है। आइए हम सब इस अवसर पर, उनके सपनों को साकार करने के लिए मिलकर काम करें। हम एक ऐसे भारत का निर्माण करें, जो सुशासन, एकता और गति के अटल सिद्धांतों का प्रतीक हो। मुझे विश्वास है, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के सिखाए सिद्धांत ऐसे ही, हमें भारत को नव प्रगति और समृद्धि के पथ पर प्रशस्त करनें की प्रेरणा देते रहेंगे। ।•••

'विकसित भारत' के सपनों से समूचा राष्ट्र जुड़ रहा: नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संविधान के 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पर 14 दिसंबर, 2024 को लोकसभा में हुई विशेष चर्चा में भाग लिया। पीएम श्री मोदी ने कहा कि भारत का लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक अतीत हमेशा समृद्ध और दुनिया के लिए प्रेरणादायक रहा है और इसीलिए भारत को 'लोकतंत्र की जननी' के रूप में जाना जाता है। उन्होंने कहा कि 2014 में जब एनडीए को सेवा करने का मौका मिला, तो संविधान और लोकतंत्र को मजबूती मिली। उन्होंने कहा कि 'गरीबी हटाओ' का नारा सिर्फ एक नारा बनकर रह गया, क्योंकि गरीबों को उनकी कठिनाइयों से मुक्ति नहीं मिली। उनका मिशन और प्रतिबद्धता गरीबों को इन मुश्किलों से मुक्ति दिलाना है और वे इसे हासिल करने के लिए दिन-रात काम कर रहे हैं। प्रस्तुत है प्रधानमंत्री श्री मोदी के संबोधन के प्रमुख अंश:

सदन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि यह भारत के सभी नागरिकों और दुनिया भर के सभी लोकतंत्र प्रेमी लोगों के लिए गर्व और सम्मान की बात है कि हम लोकतंत्र के इस उत्सव को मना रहे हैं। हमारे संविधान के 75 वर्षों की इस उल्लेखनीय और यादगार यात्रा में हमारे संविधान निर्माताओं की दूरदर्शिता, दिव्य दृष्टि और प्रयासों को धन्यवाद देते हुए उन्होंने कहा कि 75 वर्ष सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद अब यह लोकतंत्र का उत्सव

सदन के समक्ष 11 प्रस्ताव

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के भविष्य के लिए संविधान की भावना से प्रेरित होकर वह सदन के समक्ष 11 प्रस्ताव रखना चाहते हैं:

पहला संकल्प : चाहे नागरिक हो या सरकार, सभी को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए।

दूसरा संकल्प : हर क्षेत्र, हर समाज को विकास का लाभ मिले, 'सबका साथ-सबका विकास'।

तीसरा संकल्प : भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस हो, भ्रष्टाचारी की कोई सामाजिक स्वीकार्यता न हो।

चौथा संकल्प : देश के नागरिकों को देश के कानून, देश के नियमों और देश की परंपराओं का पालन करने में गर्व हो।

पांचवां संकल्प : गुलामी की मानसिकता से मुक्ति मिले, देश की विरासत पर गर्व हो।

छठा संकल्प : देश की राजनीति को भाई-भतीजावाद से मुक्त किया जाए।

सातवां संकल्प : संविधान का सम्मान किया जाए, संविधान को राजनीतिक लाभ के लिए हथियार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाए।

आठवां संकल्प : संविधान की भावना को ध्यान में रखते हुए जिन लोगों को आरक्षण मिल रहा है, उनसे आरक्षण नहीं छीना जाए और धर्म के आधार पर आरक्षण देने की हर कोशिश को रोका जाए।

नौवां संकल्प : महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास में भारत दुनिया के लिए मिसाल बने।

दसवां संकल्प : राज्य के विकास से देश का विकास, यही हमारा विकास का मंत्र हो।

ग्यारहवां संकल्प : एक भारत-श्रेष्ठ भारत का लक्ष्य सर्वोपरि हो।

भये प्रगट कृपाला दीनदयाला...

मनाने का पल है। 75 वर्षों की उपलब्धि को एक असाधारण उपलब्धि बताते हुए प्रधानमंत्री ने इस बात पर गर्व व्यक्त किया कि संविधान ने भारत की आजादी के तुरंत बाद सभी अनुमानित संभावनाओं और उसके बाद की चुनौतियों पर काबू पाकर हम सभी को यहां तक ले आया। उन्होंने इस महान उपलब्धि के लिए संविधान निर्माताओं और करोड़ों नागरिकों के प्रति गहरी कृतज्ञता व्यक्त की।

भारतः लोकतंत्र की जननी

पीएम श्री मोदी ने कहा कि संविधान निर्माताओं ने कभी भी इस विचार का समर्थन नहीं किया कि भारत का जन्म 1947 में हुआ है या संविधान 1950 से लागू होगा, बल्कि वे भारत और इसके लोकतंत्र की महान परंपरा व विरासत पर विश्वास एवं गर्व करते थे। उन्होंने कहा कि भारत का लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक अतीत हमेशा समृद्ध और दुनिया के लिए प्रेरणादायक रहा है। उन्होंने कहा कि इसीलिए भारत को 'लोकतंत्र की जननी' के रूप में जाना जाता है।

प्रधानमंत्री ने संवैधानिक सभा में हुई बहसों में से राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन को उद्धृत करते हुए कहा कि सदियों के बाद ऐसी घटनापूर्ण बैठक बुलाई गई है, जो मुझे हमारे महान अतीत और पहले के समय की याद दिलाती है जब हम स्वतंत्र हुआ करते थे और सभाओं में बुद्धिजीवी लोग सार्थक मुद्दों पर चर्चा व विचार-विमर्श किया करते थे। फिर उन्होंने डॉ. एस. राधाकृष्णन को उद्धृत करते हुए कहा, "इस महान राष्ट्र के लिए गणतंत्र की प्रणाली कोई नया विचार नहीं है, क्योंकि हमारे यहां यह प्रणाली हमारे इतिहास की शुरुआत से ही रही है।" इसके बाद श्री मोदी ने बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर को उद्धृत करते हुए कहा, "ऐसा नहीं है कि भारत को लोकतंत्र के बारे में पता नहीं था, एक समय था जब भारत में कई गणराज्य हुआ करते थे।"

आजादी के समय से ही महिलाओं को मतदान का अधिकार

प्रधानमंत्री ने संविधान निर्माण की प्रक्रिया तथा इसे और अधिक सशक्त बनाने में महिलाओं की भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि संविधान सभा में पंद्रह सम्मानित और सक्रिय महिला सदस्य थी और उन्होंने अपने मौलिक विचार, दृष्टिकोण और विचार देकर संविधान का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया को और मजबूत किया। इस तथ्य को याद करते हुए कि उनमें से प्रत्येक विविध पृष्ठभूमि से थी, श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि महिला सदस्यों द्वारा दिए गए सारगर्भित सुझावों का संविधान पर गहरा प्रभाव पड़ा। पीएम श्री मोदी ने इस बात पर भी गर्व व्यक्त किया कि दुनिया के कई अन्य देशों की तुलना में भारत में आजादी के समय से ही महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया गया और कई देशों को यह अधिकार देने में दशकों लग गए। उन्होंने कहा कि इसी भावना के साथ भारत ने जी-20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता के दौरान महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास का दृष्टिकोण दुनिया के सामने रखा। श्री मोदी ने सभी सांसदों द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम के सफल कार्यान्वयन का भी उल्लेख किया और कहा कि सरकार ने महिलाओं की बढ़ती राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु कई कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि हर प्रमुख नीतिगत निर्णय के केन्द्र में महिलाएं होती हैं और उन्होंने इस बात पर खुशी व्यक्त की कि यह एक महान संयोग है कि संविधान के 75 वर्ष पूरे होने के दौरान भारत के राष्ट्रपति के पद पर एक आदिवासी महिला विराजमान है। उन्होंने कहा कि यह हमारे संविधान की भावना की सच्ची अभिव्यक्ति है।

भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र हो

इस बात को दोहराते हुए कि भारत तेज गति से प्रगति कर रहा है, श्री मोदी ने कहा कि जल्द ही भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करना 140 करोड़ देशवासियों का साझा संकल्प है कि भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र हो। उन्होंने आगे कहा कि इस संकल्प को हासिल करने के लिए भारत की एकता सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है। श्री मोदी ने कहा कि हमारा संविधान भारत की एकता का आधार भी है।

विविधता में एकता भारत की विशेषता

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद संविधान निर्माताओं के दिल और दिमाग में एकता थी। हालांकि, आजादी के बाद विकृत मानसिकता के कारण या स्वार्थवश सबसे बड़ा प्रहार देश की एकता की मूल भावना पर ही हुआ। श्री मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि विविधता में एकता भारत की विशेषता रही है और इस बात पर जोर दिया कि हम विविधता का उत्सव मनाते हैं और देश की प्रगति भी इस विविधता का उत्सव मनाने में ही निहित है। हालांकि, भारत का भला नहीं चाहने और इस देश का जन्म 1947 से मानने वाले औपनिवेशिक मानसिकता के लोग इस विविधता में विरोधाभास ढूढ़ते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि विविधता के इस अमूल्य खनाने का उत्सव मनाने के बजाय देश की एकता को चोट पहुंचाने के उद्देश्य से इसके भीतर जहरीले बीज बोने का प्रयास किया गया। श्री मोदी ने सभी से विविधता के उत्सव को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाने का आग्रह किया और यही डॉ. बी. आर. अम्बेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ।•••

संविधान समाज के समृद्धि का समग्र दस्तावेजः नड्डा

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने 17 दिसंबर, 2024 को भारतीय संविधान के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राज्यसभा में आयोजित चर्चा में भाग लिया। इस अवसर पर श्री नड्डा ने 5 अगस्त, 2019 को अनुछेद 370 को हटाने और जम्मू-कश्मीर को भारत को अभिन्न अंग बनाने के लिए संसद को धन्यवाद दिया। प्रस्तुत है भाषण का संपादित अंश :-

कुछ ही दिन बाद हम अपने गणतंत्र के पूरे होते हुए 75 साल देखेंगे। यह उत्सव एक तरीके से हमारीसंविधान के प्रति समर्पण, संविधान के प्रति प्रतिबद्धता को मजबूती प्रदान करता है। हम सब जानते हैं कि भारत सबसे बड़ा प्रजातंत्र है, लेकिन यह प्रजातंत्र की जननी भी है। प्रजातंत्र में समाज में स्वतंत्रता, स्वीकार्यता, समानता और समावेशिता शामिल होती है। इससे आम नागरिक सम्मानजनक जीवन जी पाते हैं। संविधान की मूल प्रति में भी अजंता एलोरा की गुफाओं की छाप दिखती है। हम सबको उसमें कमल की भी छाप दिखती है और कमल इस बात को प्रतिबिंबित करता है कि हम कीचड़ में से निकलकर नए संविधान के साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं।

हमारा संविधान भी उस कमल के माध्यम से हमें यह प्रेरणा देता है कि हम तमाम मुसीबतों के बावजूद प्रजातंत्र को मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अनुच्छेद 370 के ही विरोध में उस समय के जनसंघ के संस्थापक ने आवाज उठाते हुए कहा कि एक देश में 'दो निशान, दो विधान और दो प्रधान नहीं चलेंगे। उन्होंने इसके लिए बलिदान दिया। राष्ट्रपति के आदेश से अनुच्छेद 370 में धारा 35क लाई गई और संसद में कोई बहस किए बिना इस धारा को राष्ट्रपति की स्वीकृति दी गई। भारतीय संसद द्वारा पारित किए गए अनेक कानून जम्मू और कश्मीर में लागू नहीं होते थे।

आज जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया है

जम्मू-कश्मीर में पंजाब से सफाई कर्मचारियों को लाया गया और उनको बसाया गया। उनको जम्मू-कश्मीर की नागरिकता तो दी गई, लेकिन उनको सिर्फ सफाई कर्मचारी की ही नौकरी का अधिकार था। वे कुछ और नहीं कर सकते थे। इस तरह से आजाद भारत में कानून का उल्लंघन हो रहा था। मैं इस संसद को धन्यवाद देता हूं कि उसने 5 अगस्त, 2019 को अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया और आज जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया है।

अभी अगले साल 25 जून को आपातकाल लगाए जाने के 50 साल हो जाएंगे, हम 'लोकतंत्र विरोधी दिवस' मनाएंगे। हम आह्वान करते हैं कि कांग्रेस भी उसमें शामिल हो। आपातकाल इसलिए नहीं लगा कि देश को कोई खतरा था, बल्कि इसलिए लगा कि सत्ताधारी दल की सत्ता को खतरा था और इस कारण 25 जून, 1975 को राष्ट्रपति की सम्मति के द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आंतरिक अशांति कारण बताते हुए मूल अधिकारों, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 को निलंबित कर दिया गया। आपातकाल के दौरान लगभग 1 लाख से ज्यादा लोग मीसा और डीआईआर में

भये प्रगट कृपाला दीनदयाला...

22-22 महीने के लिए बंदी हुए।

अल्पसंख्यक तुष्टीकरण

मैं अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की भी बात करना चाहता हूं। राजीव गांधी जी को प्रगतिशील बताया गया, लेकिन वह अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के लिए शाहबानो मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को निरस्त करने के लिए संसद में संशोधन ले आए। उच्चतम न्यायालय ने कई बार कहा था कि तीन तलाक समाप्त होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस सरकारों ने इस दिशा में कोई कार्य नहीं किया, जबकि कई इस्लामी देशों में भी तीन तलाक नहीं है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की दूर-दृष्टि और पक्के इरादे से तीन तलाक को समाप्त किया गया और मुस्लिम बहनों को मुख्यधारा में लाने का काम किया।

पं. नेहरू ने सीमा के बुनियादी ढांचे सहित रक्षा तैयारियों की उपेक्षा की

कांग्रेस पार्टी ने न तो भू-क्षेत्रों को सौंपने के संदर्भ में भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा की है और न ही हमारे पड़ोस में भारत के प्रभाव को कम करने के प्रयासों का मुकाबला किया है। 1949 में हमारी बहादुर सेना ने युद्ध के मैदान में सफलता हासिल की थी, लेकिन पंडित नेहरू ने युद्ध विराम स्वीकार किया था। यही कारण है कि आज भी 'पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर' मौजूद है। सभा यह भी जानती है कि चीन ने 38,000 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था और पाकिस्तान ने उसे 5,180 वर्ग किलोमीटर का अवैध हस्तांतरण किया था। चीन ऐसा इसलिए कर सका क्योंकि श्री जवाहरलाल नेहरू ने सीमा के बुनियादी ढांचे सहित रक्षा तैयारियों की उपेक्षा की और उन्हें कूटनीति की समझ नहीं थी।

जहां तक म्यांमार का सवाल है, 1950 के दशक में कोको द्वीप समूह पर हमारे नियंत्रण के हस्तांतरण की परिस्थितियां आज भी अस्पष्ट हैं। हमने 2008 से 2010 के बीच हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा पर असर डालने वाले घटनाक्रमों के बारे में लापरवाही का रिकॉर्ड भी देखा है। जब चीन ने श्रीलंका में हंबनटोटा बंदरगाह बनाया, तब हम चुपचाप देखते रहे। मालदीव में 2012 में एक भारत विरोधी आंदोलन के कारण प्रमुख क्षेत्रों में भारतीय निवेश बाहर हो गया। इसका भी कांग्रेस ने हमेशा विरोध नहीं किया। एक द्वीप है कच्चातीवू जो 1974 में श्रीलंका को सौंपे जाने से पहले तमिलनाडु के अधिकार क्षेत्र में था। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी ने इसे एकतरफा तौर पर श्रीलंका को दे दिया और यह हस्तांतरण भारत के संविधान में संशोधन किए बिना निष्पादित किया गया, जिससे महत्वपूर्ण संवैधानिक और कानूनी प्रश्न उठे।

इसी तरह, दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद को सुलझाने के लिए 16 मई, 1974 को भारत-बांग्लादेश भूमि सीमा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे और इसे अनुसमर्थन की आवश्यकता थी। 1974 से 2015 तक कोई अनुसमर्थन नहीं हुआ था। 2015 में सरकार ने समझौते को अंतिम रूप दिया और क्षेत्रीय परिवर्तनों के अंतरराष्ट्रीय समझौते पर सहमति बनी और संसद द्वारा इसका अनुसमर्थन किया गया। मोदी सरकार संघवाद का सम्मान करती है, इसीलिए केंद्र सरकार ने त्रिपुरा, असम, मेघालय और पश्चिमी बंगाल के साथ विचार-विमर्श किया और उनमें से प्रत्येक की सहमति लेने के बाद भूमि सीमा में लगभग 111 भारतीय इन्क्लेव और भारत में 51 बांग्लादेशी इन्क्लेव को पुनर्स्थापित किया गया और 50,000 की आबादी को समझौते के तहत लाया गया।

आप लोगों को जानना चाहिए कि संविधान सभा में जो लोग थे, जिन लोगों ने बाद में आकर देश को चलाया, उनके मन में आरक्षण के प्रति क्या भावना थी। संविधान में अनुसूचित जातियों और पिछड़ी जातियों के बीच बहुत स्पष्ट रूप से अंतर किया गया है। हमारे संविधान निर्माताओं ने यह अंतर क्यों किया? उनके दिमाग में कुछ था। आज हम उस अंतर को क्यों खो चुके हैं? मैं आपसे सहमत हूं, वास्तविकता यह है कि इस देश में जाति का बहुत महत्व है। मैं इससे असहमत नहीं हूं। यदि हमारा लक्ष्य जातिविहीन समाज है, तो आपका हर बड़ा कदम ऐसा होना चाहिए जिससे आप जातिविहीन समाज की ओर बढ़े। जिन्होंने 55 साल राज किया, मैंने उनका मत आपके सामने रखा है। काका कालेलकर रिपोर्ट पर आप 22 साल तक बैठे रहे, लेकिन आपने आरक्षण के बारे में कुछ नहीं सोचा। मंडल आयोग कौन लेकर आया? जनता पार्टी की सरकार इसे लेकर आई। राजीव गांधी जी ने तथ्यात्मक त्रुटियों का हवाला देते हुए और रिपोर्ट को अधूरा बताते हुए मंडल आयोग की ग की रिपोर्ट के क्रियान्वयन का विरोध किया था। ।। आपने पिछड़े वर्ग के साथ कितना अन्याय किया।

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा

अब अगर मैं सामाजिक न्याय की बात करूं, तो अनुच्छेद 338ख के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा नरेन्द्र मोदी जी की सरकार द्वारा दिया गया। उसी तरीके से आर्थिक रूप से कमजोर तबकों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करके सामाजिक न्याय देने का काम किया गया। संघ राज्य क्षेत्र जम्मू-कश्मीर में वाल्मीकि समुदाय को आरक्षण भी नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने दिया। अगर में राजनीतिक न्याय की बात करूं, तो अनुच्छेद 370 को समाप्त करके जम्मू-कश्मीर को राजनीतिक न्याय देने का काम हमारी सरकार द्वारा किया गया।

जम्मू-कश्मीर में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों को अधिकार देकर राजनीतिक न्याय देने का काम भी अनुच्छेद 370 को समाप्त करके हमारी सरकार द्वारा किया गया।

'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' को पारित करके महिलाओं को आंरक्षण देने का काम किया भी हमारी सरकार द्वारा ही किया गया। हमने ट्रिपल तलाक का उन्मूलन करके मुस्लिम महिलाओं को न्याय देने का प्रयास भी किया। अगर मैं आर्थिक न्याय की बात करूं, तो मुद्रा योजना, जन-धन खाते, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना आदि के जरिए आर्थिक न्याय दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा आयुष्मान भारत के अंतर्गत 61 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपये प्रति परिवार प्रति वर्ष स्वास्थ्य सुरक्षा देना बहुत बड़ी उपलब्धि है। ।•••

संविधान को सर आंखों पर रखती है भाजपा: राजनाथ सिंह

केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 13 दिसंबर, 2024 को लोकसभा में संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर हुई चर्चा की शुरुआत करते हुए कहा, "हम सभी भाग्यशाली हैं कि हम भारत के संविधान के 'अमृत महोत्सव' के साक्षी बन रहे हैं।" उन्होंने भारत की स्वतंत्रता एवं भारत के संविधान के निर्माण से जुड़ी सभी महान हस्तियों के प्रति आभार भी व्यक्त किया।

हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि हम भारतीय संविधान के अमृत महोत्सव के साक्षी बन रहे है। 75 वर्ष पहले संविधान सभा द्वारा स्वतंत्र भारत के लिए संविधान निर्माण का महान कार्य सम्पन्न किया गया था। लगभग 3 वर्षों की जोरदार बहस और विचार-विमर्श के परिणामस्वरूप हमें हमारा संविधान मिला है। संविधान सभा ने जो संविधान तैयार किया था वह केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं था, बल्कि जन आकांक्षाओं का प्रतिबिम्ब था और उन्हें पूरा करने का वह माध्यम भी था। हमारा संविधान सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक जीवन के सभी पहलुओं को छूते हुए राष्ट्र निर्माण का मार्ग प्रशस्त करता है। इसके साथ ही लोगों के लिए मोरल टेजेक्टरी यानी नैतिक मार्ग भी बनाता है। हमारा संविधान सहकारी संघवाद सुनिश्चित करने के साथ ही राष्ट्र की एकता को सुनिश्चित करने पर भी बल देता है। यह संविधान नियंत्रण और संतुलन बनाए रखने का भी सिस्टम प्रदान करता है, जिससे सभी संस्थाएं अपने संवैधानिक दायरे में रहकर काम कर सके।

हमारा संविधान स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग से सिंचित स्वाभिमान है

हमारा संविधान स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग से सिंचित स्वाभिमान है। यह ऐतिहासिक घटनाक्रमों की श्रृंखला का परिणाम है। कई महापुरुषों के विचारों ने हमारे स्वतंत्र भारत के संविधान की भावना को मजबूत और समृद्ध किया। स्वतंत्रता व समानता के सिद्धांतों पर आधारित एक गणतांत्रिक संविधान की डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भी वकालत की थी। हमारे वर्तमान संविधान में भी इन्हीं मूल्यों को प्राथमिकता दी गई है। हमारा संविधान संवैधानिक तंत्र के जरिए नागरिकों के कल्याण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।

प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वर्तमान सरकार 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की भावना के साथ काम कर रही है। मौजूदा सरकार भारत के संविधान में निहित धर्म और भावना दोनों के अनुरूप काम कर रही है। हमारा संविधान प्रगतिशील, समावेशी और परिवर्तनकारी है। मौजूदा सरकार संविधान की मूल भावना को केंद्र में रखकर जनहित के मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ रही है। हमने गुलामी की मानसिकता को समाप्त करके 'भारत न्याय संहिता', 'भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता' और 'भारतीय साक्ष्य अधिनियम' जैसे नये कानूनों को पारित किया है। सरकार ने समाज के सभी वर्गों, विशेषकर कमजोर वर्गों के लोगों के समुचित विकास को अपना लक्ष्य बनाया है।

रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म

रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के हमारे संकल्प ने आज भारत को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की कतार में

लाकर खड़ा कर दिया है। सामाजिक न्याय के संवैधानिक आदशों के अनुरूप महिला और महिला नेतृत्व विकास को सुनिश्चित करने के लिए हमने 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया है। इससे राजनीतिक क्षेत्र की महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा तथा उनका सशक्तीकरण भी सुनिश्चित होगा। वर्ष 2018 में राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया है। आजाद भारत के इतिहास में यह पहली बार हुआ है। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को दस प्रतिशत आरक्षण का अवसर प्रदान किया गया है। सरकार ने संविधान को लेटर एंड स्पिरिट में बखूबी लागू किया है।

संविधान के मूल्य हमारे लिए सर्वोपरि

मैं इस अवसर पर संविधान के कस्टोडियन और इंटरप्रेटर के रूप में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका की भी सराहना करना चाहता हूं। विपक्ष के कई नेता संविधान की प्रति अपनी जेब में रखकर घूमते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी संविधान को सिर माथे पर लगाती है। हमारी प्रतिबद्धता संविधान के प्रति पूरी तरह से साफ है। ।•••

भये प्रगट कृपाला दीनदयाला...

'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' से मातृशक्ति और मजबूतः शाह

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 17 दिसंबर, 2021 को संविधान की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में राज्यसभा में आयोजित चर्चा में भाग लिया। इस दौरान श्री शाह ने सामाजिक न्याय को मजबूत करने और होशिए पर पड़े समुदायों को सशक्त बनाने के लिए मोदी सरकार के विभिन्न संवैधानिक संशोधनों को रेखांकित किया। हम यहां अपने सुधी पाठकों के लिए श्री शाह के भाषण का संपादित अंश प्रकाशित कर रहे हैं

चर्चा का जवाब देते हुए केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये चर्चा एक ओर जनता को ये अहसास कराएगी कि संविधान के कारण हमारा देश कितना आगे बढ़ा और दूसरी ओर संविधान की मूल भावना के कारण ही 75 साल में लोकतंत्र की जड़ें गहरी होने का अहसास भी कराएगी। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही ये भी अहसास होता है कि जब संविधान की भावनाओं के साथ कोई छेड़छाड़ का प्रयास करता है तो किस प्रकार की घटनाएं होती हैं। श्री शाह ने कहा कि संविधान पर दोनों सदनों में हुई चर्चा हमारे किशोरों और युवा पीढ़ी के साथ-साथ संसद में बैठकर देश के भविष्य का निर्णय करने वालों के लिए शिक्षाप्रद साबित होगी।

केंद्रीय गृहमंत्री श्री शाह ने कहा कि हमारा संविधान, संविधान सभा और संविधान की रचना की प्रक्रिया दुनिया के सभी संविधानों में अनूठी है। उन्होंने कहा कि हमारे यहां दुनिया का सबसे ज्यादा विस्तृत और लिखित संविधान, चर्चा के हमारे पारंपरिक लक्षणों के साथ बनाया गया है।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि हमारे संविधान में भगवान राम, बुद्ध और महावीर, दसवें गुरू गोविंद सिंह के भी चित्र मिलेंगे। इसके साथ-साथ गुरुकुल के माध्यम से हमारी शिक्षा नीति कैसी होनी चाहिए, इसका संदेश भी मिलता है। इसी प्रकार, भगवान श्री राम, सीता और लक्ष्मण को एक प्रकार से हमारे अधिकारों का चित्रण करते हुए दिखाया गया है। उन्होंने कहा कि भगवत गीता के संदेश के चित्र, शिवाजी महाराज और लक्ष्मीबाई को भी संविधान में स्थान देकर देशभक्ति का पाठ हमें सिखाया गया है।

विपक्षियों ने 55 वर्षों में 77 संविधान परिवर्तन किए

केंद्रीय गृहमंत्री श्री शाह ने कहा कि हमारे संविधान को कभी भी अपरिवर्तनशील नहीं माना गया है और समय के साथ देश, कानून और समाज को बदलना चाहिए। उन्होंने कहा कि संविधान के अंदर ही अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन के लिए प्रावधान किया गया है। श्री शाह ने कहा कि हमारी पार्टी ने 16 साल राज किया, 6 साल अटल जी ने, 10 साल प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने किया और 5 साल और प्रधानमंत्री मोदी जी करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने 22 बार संविधान में परिवर्तन किए। उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टी ने 55 साल के अपने शासन में 77 संविधान परिवर्तन किए।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि पहला संशोधन 18 जून, 1951 को हुआ जिसे संविधान सभा ने ही किया। उन्होंने कहा कि इस संशोधन में 19ए को जोड़ा गया, इसका उद्देश्य क्या था और इसे किस लिए जोड़ा गया? श्री शाह ने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी को curtail करने लिए किया गया। उन्होंने कहा कि ये संशोधन किसने किया, उस वक्त प्रधानमंत्री कौन थे। उन्होंने कहा कि पहला संविधान संशोधन अभिव्यक्ति की आजादी को रोकने के लिए लाया गया था और इसे जवाहरलाल नेहरू के लिए लाया गया था। श्री शाह ने कहा कि 24वां संविधान संशोधन इंदिरा गांधी जी की पार्टी 5 नवंबर, 1971 को लाई थी। उन्होंने कहा कि 24वें संशोधन के माध्यम से संसद को नागरिकों के मौलिक अधिकार कम करने का अधिकार दे दिया गया। केंद्रीय गृहमंत्री श्री शाह ने कहा कि 39वें संविधान संशोधन ने सभी सीमाओं को पार कर दिया। उन्होंने कहा कि 10 अगस्त, 1975 का वह दिन हमारे संविधान के इतिहास में हमेशा काले अक्षरों में दर्ज रहेगा जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी जी के चुनाव को अमान्य करार दिया था। ।•••

राष्ट्रीय सामाजिक समरसता के अग्रदूत डॉ. अंबेडकर

डॉ. रमन सिंह

आज से लगभग 22 वर्ष पहले सन 2003 जब समाप्ति की ओर था, नियति ने उस सर्दी में एक नया काम सौंप दिया था मुझे। छत्तीसगढ़ महतारी के सेवक, मुख्यमंत्री के रूप में काम करने का। इस दायित्व में लगातार 15 वर्ष अपनी यात्रा और भूमिका कैसी रही, इसे इतिहास को तय करना है। लेकिन इस दौरान ईश्वर ने अगर कुछ अच्छे कार्य करा लिए होंगे तो निश्चय ही इसमें जिन महापुरुषों की प्रेरणा रही उनमें बाबा साहब डॉ. भीम राव आंबेडकर अग्रगण्य हैं। हम सब जिस भी राजनीतिक दायित्व में होते हैं तो स्वाभाविक ही संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ से बंधे होते हैं, उस संविधान के निर्माता के रूप में बाबा साहेब का योगदान अविस्मरणीय है। अभीष्ट यही है कि हर प्रतिनिधि स्वयं के कार्यों को संविधान निर्माता बाबा साहेब के विचारों की कसौटी पर कसे।

छत्तीसगढ़ के रूप में हमें अपना नया राज्य अटल जी ने दिया। चुनौतियां अपार थी। आजादी के छः दशक गुजर जाने के बाद तक भी हमारा अंचल तब सामान्य मौलिक सुविधाओं से भी वंचित था। अफ़सोस की बात थी हमारे लिए कि सबके लिए स्वास्थ्य और शिक्षा तो दूर, शासन अपने लोगों के लिए भोजन तक की गारंटी नहीं दे पाया था। ऐसी स्थिति में हमने सबसे पहले सबको भोजन का अधिकार देने से अपनी यात्रा की शुरुआत की और आगे स्वास्थ्य और शिक्षा इन तीन प्राथमिकताओं के साथ आगे बढ़े। बाबा साहेब के मूलमंत्र शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो, को ही हमने तब अपनी यात्रा का पाथेय बनाया था। उनके समानता और समरसता के विचारों पर ही चलना निर्धारित किया, कितना चल पाया इसे इतिहास पर छोड़ कर संविधान के अमृत महोत्सव पर उन्हें कुछ शब्दांजलि समर्पित करता हूं।

कम लोगों को यह ज्ञात होगा कि मध्यप्रदेश-बिहार के आदिवासी अंचल के विकास के लिए 50 के दशक में ही बाबा साहेब ने राज्य विभाजन का प्रस्ताव दिया था जिसे अटल जी की सरकार आने पर छत्तीसगढ़-झारखंड बनाकर साकार किया गया। आज वंचितों के लिए हम आरक्षण समेत अन्य प्रावधानों से अपने आदिवासी और वंचित बंधुओं को आगे लाने में सफल हुए तो यह बाबा साहेब के संविधान से ही संभव हुआ है। जिस तरह बाबा साहब आजन्म महिला अधिकारों के लेकर प्रयासरत रहे, स्थानीय निकायों एवं पंचायतों में पचास प्रतिशत आरक्षण देकर एक तरह से हमने बाबा साहेब को अपनी श्रद्धांजलि ही व्यक्त की थी।

बाबा साहेब के विचारों को जब आप समग्रता में देखेंगे, निहित स्वार्थों से ऊपर उठकर जब उनका मूल्यांकन करेंगे, तो पायेंगे कि वास्तव में राजनीतिक स्वार्थवश उन्हें हमेशा कुछ क्षेत्रों तक सीमित कर दिया गया था। एक सोची-समझी रणनीति के तहत उन्हें राष्ट्र के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले नेता के तौर पर बताये जाने से बचा गया। उनके परिनिर्वाण के बाद भी जान-बूझ कर उनकी स्मृति को भी हमेशा पूर्वाग्रह का शिकार बना कर प्रस्तुत किया गया। जबकि सच तो यह है कि बाबा साहेब अपनी प्रज्ञा, अपने ज्ञान और कृतित्व से भी अपने समकालीनों से मीलों आगे थे। अगर राष्ट्र के प्रति उनकी निष्ठा को देखा जाय तो भारतीय संस्कृति के प्रति स्वाभिमान से भरे एक प्रखर राष्ट्रीय के रूप में ही उनका परिचय होगा।

एक महान विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, और समाज सुधारक के साथ बाबा साहब प्रखर संस्कृतिवादी भी थे। भारतीयता से ओतप्रोत उनके विचार आज भी हम सबके लिए मार्गदर्शक सिद्धांत की तरह ही हैं। अखंड भारत के विचार को जीने और उसी के निमित्त अपना जीवन समर्पित करने वाले डॉ. आंबेडकर ने न केवल प्राण-पण से भारत विभाजन का विरोध किया अपितु वे यह आशा भी रखते थे कि अंततः भारत अखंड होगा। बाबा साहेब ने कहा था – 'मैं हिंदुस्तान से प्रेम करता हूं। मैं जीवित रहुंगा तो हिंदुस्तान के लिए और मरूंगा तो हिंदुस्तान

भये प्रगट कृपाला दीनदयाला...

के लिए।' उनके अनुसार, जब तक सामाजिक समरसता का भाव पूर्णतः राष्ट्र में उत्पन्न नहीं होगा तब तक राष्ट्रवाद की स्थापना नहीं हो पाएगी।'' बाबा साहब की जीवनी लिखने वाले सी. बी खैरमोड़े ने बाबा साहब के शब्दों को उद्धृत करते हुए लिखा है- "मुझमें और सावरकर में इस प्रश्न पर न केवल सहमति है बल्कि सहयोग भी है कि हिंदू समाज को एकजुट और संगठित किया जाये, और हिंदुओं को अन्य मजहबों के आक्रमणों से आत्मरक्षा के लिए तैयार किया जाए।''

यह पंक्तियां लिखते हुए संतोष हो रहा है कि भाजपा को यह शक्ति मिली कि वह जम्मू-कश्मीर से संबंधित अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी कर सकी। बाबा साहेब भी इस अनुच्छेद के प्रबल विरोधी थे। वे भी अनुच्छेद 370 को राष्ट्रीय एकता में बाधक मानते थे। न केवल अनुच्छेद 370 बल्कि अन्य राष्ट्रीय सवालों पर भी डॉ. आंबेडकर के विचारों का आप भाजपा को अकेला उत्तराधिकारी पायेंगे। बाबा साहेब 'एक देश में एक विधान' यानी समान नागरिक आचार संहिता के भी प्रबल पक्षधर थे। उनके मतांतरण को लेकर अनेक बात कही जाती रही है लेकिन वे भारतीयता को सर्वोपरि मानते थे। उन्होंने कहा था 'बौद्धमत भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है। मैंने सावधानी बरती है कि मेरे पंथ-परिवर्तन से इस देश की संस्कृति और इतिहास को कोई हानि न पहुंचे।'

अपने प्रातः स्मरणीय महापुरुषों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करने के लिए आपके पास दो मुख्य विकल्प होते हैं। एक तो यह कि उनके विचारों के अनुकूल समाज बनाने के लिए आप स्वयं को समर्पित करें और दूसरा, उनकी स्मृति को अक्षुण्ण रखें। भाजपा ने इन दोनों अर्थों में बाबा साहेब के प्रति कृतज्ञता अर्पित की है। यह जानकर पीड़ा हो सकती है कि 1990 तक बाबा साहेब को भारत रत्न नहीं दिया गया था। जब भाजपा समर्थित वीपी सिंह की सरकार सत्ता में आयी तब बाबा साहेब को 'भारत रत्न' से सम्मानित किया गया। प्रसंगवश यह भी बताया जाना समीचीन होगा कि यही वह समय था जब शासकीय सेवाओं में ओबीसी आरक्षण की भी शुरुआत की गयी। इससे पहले केवल आरक्षण के नाम पर समाज को लड़ाने और वोट बैंक की राजनीति करने का काम ही किया गया था।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा बाबा साहेब के विचारों और उनकी स्मृतियों के संरक्षण के प्रति गंभीर रहे हैं। उन्होंने दिल्ली स्थित बाबा साहेब के घर अलीपुर रोड में राष्ट्रीय स्मारक स्थापित कराया। मोदी जी की सरकार ने डॉ. आंबेडकर से जुड़े पांच प्रमुख स्थानों को 'पंच तीर्थ' के रूप में विकसित करने का कार्य किया है। मऊ में उनके जन्मस्थान, लंदन में डॉ. आंबेडकर मेमोरियल जहां उनकी शिक्षा हुई, नागपुर में जहां उनकी दीक्षा हुई, मुंबई में चैत्य भूमि और दिल्ली में राष्ट्रीय स्मृति के रूप उनकी महापरिनिर्वाण भूमि स्थापित किये गए। इसी तरह भाजपा सरकार में ही संसद के सेंट्रल हॉल में बाबा साहेब का चित्र लगाया गया। इससे पहले की सरकार वहां जगह नहीं होने का बहाना करती रही थी। जाहिर है इसलिए क्योंकि कांग्रेस नहीं चाहती थी कि राष्ट्रीय फलक पर बाबा साहब को स्थान मिले।

कम लोगों को यह ज्ञात होगा कि मध्यप्रदेश-बिहार के आदिवासी अंचल के विकास के लिए 50 के दशक में ही बाबा साहेब ने राज्य विभाजन का प्रस्ताव दिया था जिसे अटल जी की सरकार आने पर छत्तीसगढ़-झारखंड बनाकर साकार किया गया।

एक बात का खास तौर पर यहां जिक्र किया जाना आवश्यक है कि कांग्रेस हमेशा से इस बात पर अपनी पीठ ठोकती है कि अंतरिम सरकार में उसने बाबा साहेब और डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को मंत्रिमंडल में स्थान दिया। यहां यह गौर करने वाली बात यह है कि तब कांग्रेस को स्थायी सरकार के लिए जनादेश नहीं मिला था। देश में तो पहला आम चुनाव ही 1952 में हुआ था। यह भी दुखद संयोग ही रहा कि वे दोनों मंत्री (बाबा साहेब और डॉ. मुखर्जी) अंततः अपमानित होकर नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने पर ही विवश किये गए थे। उसके बाद पहले आम चुनाव में बाबा साहेब की हार सुनिश्चित करने में कांग्रेस द्वारा कोई कसर नहीं छोड़ी गयी थी। यहां तक कि 1953 में भंडारा सीट से लोकसभा के उपचुनाव में भी सारे प्रयत्न करके बाबा साहेब को लोकसभा पहुचने से रोका गया। अंततः डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की कोशिशों से बाबा साहेब राज्यसभा पहुंचे। बहरहाल।

बाबा साहेब के जीवन पर जिन तीन गुरुओं का विशेष प्रभाव पड़ा, जिनसे उन्होंने ज्ञान, स्वाभिमान और शील की प्रेरणा ली, वे भगवान बुद्ध, महात्मा कबीर और महात्मा फूले थे। महात्मा कबीर की तरह ही बाबा साहेब ने भी तमाम धर्मों-मतों-सम्प्रदायों की कुरीतियों पर करारा प्रहार किया है। सौभाग्य है कि फिर भी कबीर की तरह ही बाबा साहेब भी लगभग सभी के आदर के पात्र ही रहे। हम सबने उनकी आलोचनाओं के प्रकाश में अपनी कमियों को दूर किया है। कबीर साहब के बारे में कहते हैं कि उनके दिवंगत होने के बाद उनके पार्थिव देह से कुछ पुष्प निकले जिन्हें सभी मतों ने आपस में में बांट लिया। बाबा साहेब के परिनिर्वाण के कुछ दशक बीत जाने के उपरान्त भी हमारे पास उनके द्वारा अन्वेषित विचार पुष्पों के सुगंध में ही हम सब भी अपने आगे का मार्ग तलाशते रहेंगे।

बाबा साहेब ने 1916 में कोलंबिया विश्वविद्यालय में 'कास्ट इन इंडिया' प्रबंध प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने लिखा- "भारत में सर्वव्यापी सांस्कृतिक एकता है। यद्यपि समाज अनगिनत जातियों में बंटा है फिर भी वह एक संस्कृति से बंधा हुआ है।" आइये इसी सुदृढ़ संस्कृति रुपी डोर से बंधे हम सब उनके सपनों को साकार करने के लिए एकजुट हों। तमाम विविधताओं के बावजूद जिस सांस्कृतिक ऐक्य के लिए बाबा साहब समर्पित रहे, हमें उनके ही सपनों का देश बनाने स्वयं को आत्मार्पित करना होगा। बाबा साहेब जिस सामजिक समरसता, देश की एकता, वंचितों का विकास आदि के आजन्म उद्यम किया, वैसा ही भारत, सांस्कृतिक रूप से एक सशक्त राष्ट्र बनाना ही बाबा साहेब को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ।•••

लेखक छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष हैं।

बाबा साहेब को कांग्रेस ने हमेशा किया अपमानित

डॉ. भोला सिंह

डॉ. भीमराव अंबेडकर का नाम भारतीय समाज के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। उन्होंने भारत के दलित, वंचित और पिछड़े समाज को न्याय, समानता और अधिकार दिलाने के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। भारतीय संविधान के शिल्पकार के रूप में उनका योगदान अतुलनीय है। लेकिन उनके विराट व्यक्तित्व और योगदान को लेकर जो राजनीतिक खेल कांग्रेस के द्वारा दशकों से खेला जा रहा है, वह न केवल उनके आदर्शों का अपमान है बल्कि भारत के सामाजिक ताने-बाने को भी नुकसान पहुंचाने का प्रयास है।

इतिहास गवाह है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने डॉ. अंबेडकर के योगदान को कभी उचित सम्मान नहीं दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनके लोकसभा चुनाव में जीतने के मार्ग में अनेक नैतिक-अनैतिक बाधाएं खड़ी कीं। यह कटु सत्य है कि नेहरू और उनके नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी ने अंबेडकरजी को मुख्यधारा की राजनीति से अलग-थलग करने के लिए हरसंभव प्रयास किया।

इतना ही नहीं, गांधी-नेहरू परिवार ने स्वयं को भारत रत्न से विभूषित करवा लिया, लेकिन बाबा साहेब को यह सम्मान उनके जीवनकाल में या उसके बाद भी कई दशकों तक नहीं दिया गया।भाजपा समर्थित वीपी सिंह सरकार ने अंततः इस ऐतिहासिक अन्याय को समाप्त किया। यह कांग्रेस की वैचारिक संकीर्णता और अवसरवादी राजनीति को स्पष्ट रूप से उजागर करता है।स्वयं को और अपने परिवार को सम्मानित करने वाली कांग्रेस ने बाबा साहेब जैसे महापुरुष को उचित सम्मान देने में कोताही बरती।

कांग्रेस की राजनीति का केंद्र बिंदु केवल सत्ता रही है। दलित और वंचित समाज को उन्होंने केवल एक 'वोट बैंक' के रूप में इस्तेमाल किया। बाबा साहेब के विचारों और उनके संघर्ष को कांग्रेस ने हमेशा अपने राजनीतिक स्वार्थों के हिसाब से तोड़ा-मरोड़ा। गांधी-नेहरू परिवार ने बाबा साहेब के योगदान को धूमिल करने के लिए ऐतिहासिक तथ्यों के साथ भी छेड़छाड़ की।

कांग्रेस की राजनीति का केंद्र बिंदु केवल सत्ता रही है। दलित और वंचित समाज को उन्होंने केवल एक 'वोट बैंक' के रूप में इस्तेमाल किया। बाबा साहेब के विचारों और उनके संघर्ष को कांग्रेस ने हमेशा अपने राजनीतिक स्वार्थों के हिसाब से तोड़ा-मरोड़ा। गांधी-नेहरू परिवार ने बाबा साहेब के योगदान को धूमिल करने के लिए ऐतिहासिक तथ्यों के साथ भी छेड़छाड़ की।

ऐसी विषम परिस्थितियों में जनसंघ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) ने डॉ. अंबेडकर के प्रति सम्मान और समर्थन का परिचय दिया। उनके विचारों को आगे बढ़ाने

भये प्रगट कृपाला दीनदयाला...

और दलित समाज को सशक्त बनाने के लिए जनसंघ और आरएसएस ने निरंतर प्रयास किए। यह समर्थन केवल सांकेतिक नहीं था, बल्कि विचारधारा के स्तर पर बाबा साहेब के आदर्शों को आत्मसात करने का प्रयास था।ऐसा उन्होंने कई बार बाबा साहेब के विचारों से सहमति ना रखते हुए भी किया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने बाबा साहेब को उनके विराट व्यक्तित्व और अतुलनीय योगदान के अनुरूप सम्मान दिया है। 'पंच तीर्थ' का निर्माण—महू में जन्मस्थली, नागपुर दीक्षाभूमि, दिल्ली में महापरिनिर्वाण-भूमि, लंदन में अंबेडकर हाउस और मुंबई में चैत्यभूमि—बाबा साहेब को सच्ची श्रद्धांजलि है। दिल्ली में अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र और मुंबई में निर्माणाधीन बाबा साहेब की गगनचुंबी मूर्ति मोदी जी के उनके प्रति श्रद्धा का प्रतीक है।

इसके अतिरिक्त, संविधान दिवस को राष्ट्रीय स्तर पर मनाने का निर्णय, बाबा साहेब की स्मृतियों को जीवंत रखने का एक ऐतिहासिक कदम है। नरेंद्र मोदी सरकार ने न केवल बाबा साहेब को उचित सम्मान दिया, बल्कि दलित और वंचित समाज के उत्थान के लिए कई योजनाएं और नीतियां लागू कीं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्पष्ट किया है कि बाबा साहेब का सम्मान केवल औपचारिकताओं तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि उनके विचारों को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना चाहिए। उनके द्वारा शुरू की गई योजनाएं—जैसे कि जन-धन योजना, उज्ज्वला योजना और आयुष्मान भारत योजना—दलित और वंचित समाज को सशक्त बनाने के लिए ठोस कदम हैं।

आज जब देश एक सशक्त भारत की ओर बढ़ रहा है, कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार एक बार फिर बाबा साहेब के नाम पर घृणा और भ्रम का वातावरण तैयार करने में लगे हुए हैं। गृहमंत्री अमित शाह के संसद में दिए बयान को तोड़-मरोड़ कर पेश करने की कांग्रेस की कोशिशें यह साबित करती हैं कि यह पार्टी देश में वैमनस्यता फैलाने और सामाजिक ताने-बाने को नुकसान पहुंचाने में संकोच नहीं करती। कांग्रेस का यह रवैया न केवल दलित समाज के लिए अपमानजनक है, बल्कि देश की अखंडता और शांति के लिए भी खतरा है।

कांग्रेस और गांधी परिवार ने बाबा साहेब के नाम का इस्तेमाल केवल राजनीतिक लाभ के लिए किया है। राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा जैसे नेता जब दलित समाज के बीच जाते हैं, तब उनके प्रयासों में सच्चाई और ईमानदारी का अभाव साफ झलकता है। उनकी राजनीति का मकसद केवल दलित वोट बैंक को सुरक्षित करना है, न कि समाज के वास्तविक उत्थान के लिए काम करना।

आज जब देश एक सशक्त भारत की ओर बढ़ रहा है, कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार एक बार फिर बाबा साहेब के नाम पर घृणा और भ्रम का वातावरण तैयार करने में लगे हुए हैं। गृहमंत्री अमित शाह के संसद में दिए बयान को तोड़-मरोड़ कर पेश करने की कांग्रेस की कोशिशें यह साबित करती हैं कि यह पार्टी देश में वैमनस्यता फैलाने और सामाजिक ताने-बाने को नुकसान पहुंचाने में संकोच नहीं करती। कांग्रेस का यह रवैया न केवल दलित समाज के लिए अपमानजनक है, बल्कि देश की अखंडता और शांति के लिए भी खतरा है। कांग्रेस का इकोसिस्टम और उसके समर्थक बुद्धिजीवी हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि समाज में अस्थिरता बनी रहे। यह केवल राजनीतिक स्वार्थ नहीं, बल्कि राष्ट्रीय अखंडता के लिए खतरा है। यह स्पष्ट है कि कांग्रेस का एकमात्र उद्देश्य किसी भी तरह से सत्ता में वापसी करना है, चाहे इसके लिए उन्हें देश की सामाजिक एकता और शांति को दांव पर क्यों न लगाना पड़े।

यह समय की मांग है कि कांग्रेस और गांधी परिवार की इस विभाजनकारी राजनीति पर स्थायी रोक लगाई जाए। देश को एकजुट रखने और बाबा साहेब के सपनों को साकार करने के लिए ऐसे राजनीतिक षड्यंत्रों का पर्दाफाश आवश्यक है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आज बाबा साहेब अंबेडकर के आदर्शों को आत्मसात कर आगे बढ़ रहा है। दलित, वंचित और पिछड़े समाज के सशक्तिकरण के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं, वे न केवल बाबा साहेब को सच्ची श्रद्धांजलि हैं, बल्कि एक नए, सशक्त और आत्मनिर्भर भारत की नींव भी हैं।

अब समय आ गया है कि देश की जनता कांग्रेस और गांधी परिवार की इस घृणित राजनीति को पूरी तरह नकारे और राष्ट्रहित में एकजुट होकर आगे बढ़े। बाबा साहेब के सपनों का भारत तभी साकार होगा, जब समाज में समानता, न्याय और सद्भावना का वातावरण स्थापित होगा। ।•••

लेखक भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री व सांसद हैं।

डॉ. गुरु प्रकाश पासवान

बाबा साहेब और संविधान की उपेक्षा, कांग्रेस का चरित्र

भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए एक मील का पत्थर भी साबित हुआ। हमारे देश के संविधान को इस तरह से तैयार किया गया था, कि यह न केवल देश के विभिन्न समाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्यों को ध्यान में रखे, बल्कि बदलते समय के साथ बदलती जरूरतों के अनुरूप खुद को अद्यतन करने की क्षमता भी रखे। इसका मूल उद्देश्य हमारे देश के लोकतंत्र की रक्षा, नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा और सामाजिक न्याय की स्थापना करना था।

संविधान में संशोधन के लिए एक स्पष्ट प्रावधान (अनुच्छेद 368) रखा गया था, ताकि तेजी से बदलते समय और परिस्थितियों के अनुरूप इसमें आवश्यकतानुसार संशोधन किया जा सके। इसका उद्देश्य केवल संविधान को स्थायित्व देना और उसे बदलती दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने योग्य बनाना था।

हालाँकि, हमारे संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का प्रयोग एक आवश्यक और सकारात्मक कदम के रूप में किया जाना चाहिए था, लेकिन इसे केवल और केवल राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए कई बार इस्तेमाल किया गया। भारत की आजादी के बाद, दशकों तक देश पर शासन करने वाली कांग्रेस पार्टी ने संविधान के संशोधन की शक्ति का उपयोग संविधान के आदर्शों और मूल सिद्धांतों को सुरक्षित रखने के लिए कम, और अपने राजनीतिक स्वार्थ और सत्ता लोलुपता के लिए बड़ी मजबूती से किया। कांग्रेस के इस मनमाने रवैये ने न केवल हमारे देश के संविधान के मूल उद्देश्यों को कमजोर किया, बल्कि भारतीय लोकतंत्र की मजबूती को भी घोर संकट में डाल दिया।

कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में किए गए कई संशोधनों, जिसकी संख्या लगभग सैकड़े के आस पास है, ने यह स्पष्ट कर दिया कि संविधान को राजनीतिक स्वार्थ के आधार पर सिर्फ अपने फायदे के लिए बदलने की प्रवृत्ति थी। इन संशोधनों का उद्देश्य न केवल पार्टी और नेहरू परिवार के पारिवारिक हितों को बढ़ाना था, बल्कि कई बार विपक्षी दलों को दबाने और लोकतान्त्रिक तरीके से चुनी हुई राज्य सरकारों को गिराने के लिए भी इसका उपयोग किया गया।

1951 में किया गया पहला संशोधन इसका प्रमुख उदाहरण है, जिसमें इस संशोधन ने मौलिक अधिकारों, विशेषकर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, पर "युक्तियुक्त प्रतिबंध" लगाए। इस कदम को उस दौर के कई नेताओं ने जनता की आवाज दबाने का प्रयास भी बताया है। भारतीय लोकतंत्र के काले अध्याय "आपातकाल" के दौरान, कांग्रेस ने संविधान के सबसे बड़ा दुरुपयोग 1976 के 42वें संशोधन के रूप में किया। इस दौरान किये संशोधनों की संख्या इतनी ज्यादा थी के इसे,

सर्वत्र सम्मान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डॉ. अम्बेडकर की जन्मभूमि, शिक्षाभूमि, दीक्षाभूमि, कर्मभूमि और परिनिर्वाण स्थल को पंचतीर्थ का सम्मान दिया

भये प्रगट कृपाला दीनदयाला...

"मिनी संविधान" कहा गया, क्योंकि इसने हमारे देश के संविधान के कई मूलभूत ढांचों को ही बदल कर रख दिया।

तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लोकतंत्र को कुचलने का ये प्रयास भारत कभी नहीं भूल सकता, इतिहास गवाह है कि किस हद तक संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग व्यक्तिगत और राजनीतिक स्वार्थ के लिए किया गया। आपातकाल लागू होते ही देश में सभी

नागरिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया था। प्रेस की स्वतंत्रता खत्म, और अखबारों पर कड़ी सेंसरशिप लगा दी गई थी। पूरे देश के विपक्षी नेताओं और सरकार के आलोचकों के साथ साथ, लाखों लोगों को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया था।

बाबा साहेब ने संविधान को हमारे देश के लोकतंत्र का संरक्षक माना था। उन्होंने आपातकालीन प्रावधानों को केवल असाधारण परिस्थितियों के लिए रखा था, न कि सत्ता में बने रहने के लिए। आपातकाल के दौरान इन प्रावधानों के साथ जिस तरह खेला गया, वह उनकी दृष्टि के विपरीत था। बाबा साहेब अंबेडकर ने संविधान में आपातकालीन प्रावधान इसलिए जोड़े थे ताकि देश को आंतरिक या बाहरी खतरों से बचाया जा सके। बाबा साहेब ने अपने जीवन काल में ना जाने कितनी यातनाएं, जातिगत भेदभाव और संघर्षों को झेला, लेकिन हमारे संविधान में सबको बराबरी का अधिकार मिले, ऐसी दूरगामी कल्पना कर उसमें समाहित किया। 1975 में लाये गए आपातकाल ने बाबा साहेब के मूलभूत विचार और संविधान की मूल भावना को ही तार-तार कर दिया, ये कांग्रेस का संविधान और देश के लोकतंत्र के प्रति, झूठे नकाब के पीछे छिपा उनका वास्तविक चेहरा दिखाता है।

बाबा साहेब का सम्पूर्ण जीवन भारतीय समाज में सामाजिक न्याय, समानता और स्वतंत्रता के आदर्शों को स्थापित करने के लिए पूर्णतः समर्पित रहा। हमारे देश के संविधान शिल्पकार होने के साथ-साथ, उनका जीवन, समाज के वंचित वर्गों, विशेषकर दलित समुदाय, को समान अधिकार दिलाने के लिए संघर्षरत रहा। उनकी दी हुई यही विरासत हमारे लोकतांत्रिक ढाँचे का आधार साबित हुई। विडंबना ये रही कि कांग्रेस पार्टी, जिसने दशकों तक भारत पर शासन किया, ने उनके व्यक्तित्व, विरासत और भावना को बार-बार अपमानित किया।

बाबा साहेब को उनके जीवनकाल में उचित मान्यता नहीं मिली। उन्होंने समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त करने के लिए सकारात्मक कदमों और आरक्षण की वकालत की, पर कांग्रेस ने इनके उद्देश्यों को हमेशा ठन्डे बस्ते में ही दबाये रखा। बाबा साहेब ने कांग्रेस पर हमेशा यह आरोप लगाया, कि यह पार्टी वंचित वर्गों के हितों की अनदेखी करती है। भारत की आज़ादी के समय भी, उनके और कांग्रेस के बीच दलित अधिकारों को लेकर वैचारिक संघर्ष चलता रहा। इतिहास गवाह है, कांग्रेस के दशकों के शासन में वंचित और दलित समुदाय सिर्फ राजनितिक हथियार बनकर ही रहा और उनकोहमेशा की तरह हाशिये पर ही रखा गया।

बाबा साहेब ने संघीय ढांचे और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को हमारे लोकतंत्र के लिए आवश्यक माना था, लेकिन कांग्रेस ने इन दोनों स्तंभों को लगातार कमजोर करने का प्रयास किया। राज्यों की चुनी हुई विपक्षी सरकारों को बार-बार अनुच्छेद 356 का उपयोग कर बर्खास्त किया गया। इसी प्रकार, न्यायपालिका को नियंत्रित करने के लिए कांग्रेस ने संविधान संशोधन का सहारा लिया। कांग्रेस ने संविधान संशोधनों और प्रावधानों का समुचित दुरुपयोग कर सत्ता में बने रहने की कोशिश की और बाबा साहेब के विचारों को बार-बार नजरअंदाज किया।

बाबा साहेब की विरासत को सही मायने में सम्मानित करने का अर्थ केवल उनके नाम का इस्तेमाल करना नहीं, बल्कि उनके आदर्शों को नीतियों और शासन में लागू करना है। हमारे देश के लोकतंत्र को यह सुनिश्चित करना होगा कि संविधान के सिद्धांतों की रक्षा हो और बाबा साहेब के सपनों का भारत वास्तविकता बने।

हमारा देश का संविधान, जिसे बाबा साहेब ने बड़ी लगन, दूरदर्शिता और वर्षों की तपस्या के बाद तैयार किया था, सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज भर नहीं है, बल्कि यह हमारे देश के लोकतंत्र, समानता और स्वतंत्रता की नींव भी है, लेकिन अफसोस, कांग्रेस और विपक्षियों ने इसे अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने का जरिया बना लिया है। संविधान में संशोधन तो इसलिए होते हैं और होने चाहिए ताकि देश की बदलती जरूरतें पूरी की जा सकें, लेकिन कांग्रेस ने इसे सत्ता में बने रहने का टूल भर बना लिया था। 1975 में देश पर थोपा गया 'आपातकाल' और 42वें संशोधन जैसे कदमों ने संविधान के मूल ढांचे पर सीधा हमला किया। मतलब, भारत के संविधान के साथ जैसे चाहा, वैसे खेला। विडंबना ही है कि संविधान की हत्यारी कांग्रेस अब संविधान बचाने का पाखंड कर रही है। ।•••

लेखक भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं।

शशांक शर्मा

संविधान सभा में छत्तीसगढ़ के मनीषी

देश की आजादी के पूर्व अंग्रेजी सरकार के प्रयासों से प्रांतीय विधान सभा द्वारा चुने गए एवं रियासतों और प्रांतों के कुल 389 सदस्यों से संविधान सभा का गठन किया जा चुका था। संविधान सभा 13 दिसंबर, 1946 को भारत के संविधान निर्माण के लिए औपचारिक रूप से पहल आरंभ किया। इस बीच देश का विभाजन हो गया और 15 अगस्त को भारत को जब स्वतंत्रता मिली, संविधान सभा में सीटों की कुल संख्या 299 हो गई। डॉ. राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष चुने गये। सभा की अगली कार्यवाहियों में संविधान मसौदा समिति ने अपनी पहली बैठक में बी.आर. अंबेडकर को समिति का अध्यक्ष चुन लिया। समिति ने इसमें विभिन्न परिवर्तन किए और सुधार के उपरांत 21 फरवरी 1948 को इसे संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया। संविधान सभा में इस पर सदस्यों के बीच व्यापक विचार-विमर्श हुआ, भारतीय संविधान को स्वरूप देनें में इन प्रभावशाली बहसों का अहम योगदान था। 26 नवंबर को संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया और 26 जनवरी 1950 को यह लागू हुआ।

हमारे प्रदेश के लिए भी यह गर्व की बात है कि संविधान निर्माण के इस महायज्ञ में छत्तीसगढ़ का योगदान रहा। इस प्रदेश के गुरू अगमदास, ठाकुर छेदीलाल, पं. रविशंकर शुक्ल, किशोरी मोहन त्रिपाठी, ठाकुर रामप्रसाद पोटाई एवं धनश्याम सिंह गुप्त संविधान सभा के सदस्य थे।

भये प्रगट कृपाला दीनदयाला...

पंडित रविशंकर शुक्ल

अविभाजित मध्यप्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रहे पंडित रविशंकर शुक्ल का संविधान के निर्माण के दौरान हिंदी को राजभाषा का दर्जा और शिक्षा में राज्यों को हस्तक्षेप का अधिकार दिलाने में प्रमुख योगदान रहा है। रविशंकर शुक्ल का जन्म 2 अगस्त 1877 को सागर (म.प्र.) में हुआ था। लेकिन उनका कर्मक्षेत्र छत्तीसगढ़ अंचल ही रहा था। वे स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में खूब सक्रिय रहे। एक नवंबर 1956 को अस्तित्व में आए मध्यप्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बने। कार्यकाल के दौरान ही 31 दिसंबर 1956 को उनका निधन हो गया। पं.रविशंकर शुक्ल 12, 13 और 14 सितम्बर 1949 को संविधान सभा में उपस्थित रहे जिसमें 13 सितम्बर को शुक्ल जी नें राष्ट्रभाषा हिंदी के पक्ष में लम्बा और एतिहासिक अभिभाषण दिया था।

पंडित शुक्ल समेत राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन और सेठ गोविंद दास ने संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में जगह दिलाने के लिए संविधान सभा में जमकर बहस की थी। खास बात यह है कि संविधान सभा में हिंदी का समर्थन करने वाले देश के अन्य नेता भी थे, लेकिन वे गैर हिंदी भाषी थे। आखिरकार अनुच्छेद 343 में प्रावधान किया गया कि भारत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। इसके अतिरिक्त देश के 22 भारतीय भाषाओं को आठवीं अनुसूची में मुख्य भाषा के रूप में मान्यता दी गई।

पंडित रविशंकर शुक्ल के ही प्रयास से शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया। इससे शिक्षा प्रणाली में राज्यों को केंद्र के बराबर अधिकार मिला। समवर्ती सूची में होने की वजह से राज्य सरकारें परिस्थिति के अनुसार अपने राज्य में अपने प्राविधान लागू कर सकती हैं। पाठ्यक्रम और पाठ्य सामग्री का निर्धारण कर सकती हैं। इसका उद्देश्य भारतीय शिक्षा से भारतीय समाज को जोड़ना और हुनर की शिक्षा देना था। समवर्ती सूची का मतलब होता है कि संबंधित विषय पर केंद्र और राज्य सरकार का बराबर का अधिकार होता है।

धनश्याम सिंह गुप्त

संविधान के अनुच्छेदों पर हो रहे वाद-विवादों में धनश्याम सिंह गुप्त नें हिस्सा लिया जिसमें गुप्त सबसे लम्बे समय तक संविधान निर्माण के कार्य में दिल्ली में डटे रहे। संविधान सभा की बहसों में गुप्त जी ने लगातार भाग लिया और महीनों काम करते हुए संविधान का हिन्दी अनुवाद किया। संविधान सभा में वे संशोधनों के लिए नियत अलग-अलग तिथियों में लगभग 30 दिन तक पूरी कार्यवाही तक उपस्थित रहे। उन्होंने संविधान के अनुच्छेदों और शब्दों के संशोधनों में अपना दमदार हस्तक्षेप प्रस्तुत किया।

विधान सभा के द्वारा गुप्त जी को संविधान के हिन्दी ड्राफ्ट कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। डॉ. राजेन्द्र प्रसाद की

इच्छा के अनुरूप 2 वर्ष 6 माह की अवधि में घनश्याम सिंह गुप्त के नेतृत्व में संविधान का हिन्दी ड्राफ्ट सदन में प्रस्तुत कर दिया गया। संविधान के हिन्दी अनुवाद के लिए उन्होंनें अपनी संपूर्ण उर्जा लगा दी थी।

दुर्ग में मोती सुबेदार के वंश में 22 दिसंबर 1885 को जन्मे घनश्याम सिंह गुप्त की प्राथमिक शिक्षा दुर्ग एवं हाईस्कूल की शिक्षा रायपुर में हुई थी। आगे उन्होंने सन् 1908 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एलएल बी की उपाधि प्राप्त की फिर गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में भौतिकी के प्राध्यापक के रूप में सेवा देनें लगे।

वहां से सन् 1910 में वापस आकर दुर्ग में वकालत आरंभ कर दिया। यहां उन्होंने अंचल में चल रहे स्वतंत्रता आन्दोलन में सक्रिय भागीदारी देना आरंभ किया। 1915 में मध्य प्रांत एवं बरार के प्रांतीय परिषद के सदस्य चुने गए और आन्दोलन में छत्तीसगढ़ के शीर्ष स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के साथ अपनी सक्रिय भूमिका निभाते रहे। महात्मा गांधी के आह्वान पर 1921 में उन्होंनें वकालत का परित्याग कर दिया। 1923 से 1926 सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार विधानसभा के निर्विरोध सदस्य निर्वाचित हुए, 1927-1930 के कार्यकाल में भी आप निर्वाचित हुए और प्रदेश विधान सभा के कांग्रेस दल के नेता चुने गए। इस बीच आप सन् 1926 में दुर्ग नगर निगम के भी अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे।

सन् 1930 में दिल्ली के सेंट्रल असेंबली सदस्य के लिए हुए चुनाव में डॉ. हरिसिंह गौर को हराकर आप सदस्य निर्वाचित हुए जहां सन् वे 1937 तक आपने छत्तीसगढ़ की दमदार उपस्थिति दर्ज की। देश-विदेश के कानूनों का अध्ययन कर भारत के अनुरूप इन सभी कानूनों का ड्राफ्ट स्वयं घनश्याम सिंह गुप्त ने ही तैयार किया है। ये कानून संसद में वाद-विवाद के उपरांत लागू किया गया जो आज भी देश में लागू है।

बैरिस्टर छेदीलाल

बैरिस्टर छेदीलाल का जन्म बिलासपुर के समीप अकलतरा के प्रतिष्ठित जमींदार परिवार में 18 सितंबर 1886 को तीज के दिन हुआ।

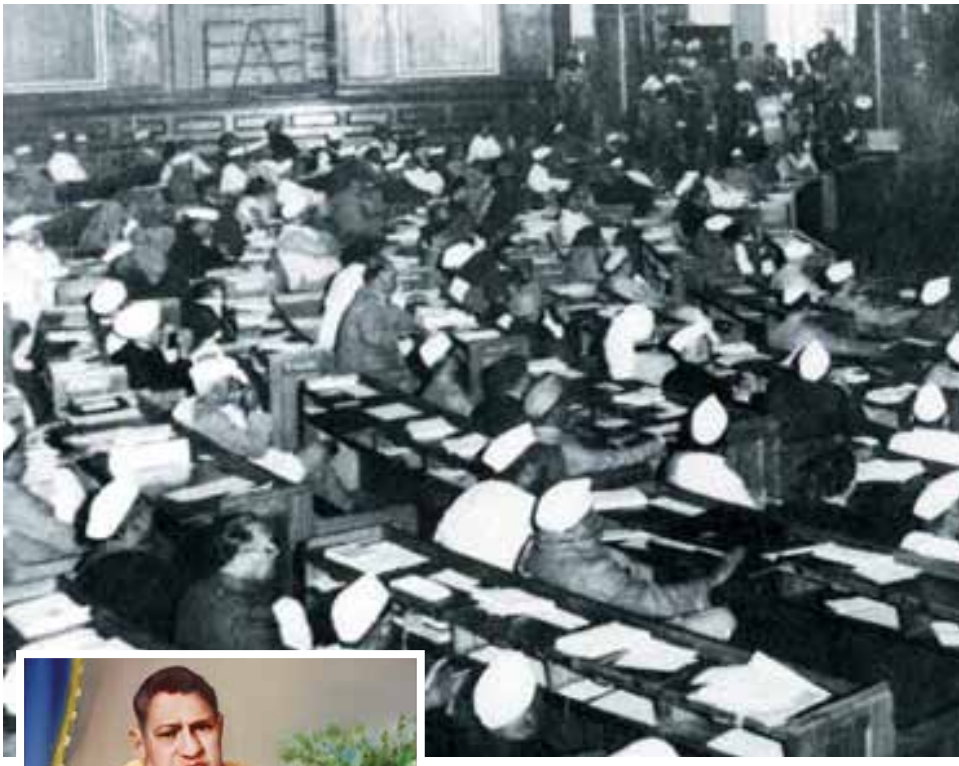

आपके पिता श्री पचकोड सिंह थे। हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत पर पूरा अधिकार रखने वाले ठाकुर साहब ने प्रयाग के म्योर कॉलेज से इंटरमीडिएट करने के पश्चात् उच्च शिक्षा हेतु ऑक्सफोर्ड गये, जहाँ आपने इतिहास में एम.ए., एल.एल.बी.तथा बार-एट-लॉ की उपाधि प्राप्त की।

लंदन में ही आप इंडिया हाऊस नामक क्रांतिकारी संगठन के सम्पर्क में आए तथा फ्रांस में आपने बम निर्माण का प्रशिक्षण लिया। 1919 से स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय 1921 में बनारस वि.वि. एवं 1922 में गुरुकुल कांगडी में कुछ समय तक अध्यापन का कार्य किया तथा 1926 तक प्रयाग की सेवा समिति के संचालक रहे । आपने अपनी विद्वत्ता से कानून के क्षेत्र में बहुत कीर्ति अर्जित की परन्तु आपका राष्ट्रप्रेमी मन शीघ्र ही विचलित हो गया और आप वकालत छोड़कर सक्रिय राजनीति में उतर पड़े। श्रमिकों में जागृति फैलाने हेतु 1927 से 1932 तक आपने श्री वी.वी. गिरी के सानिध्य में बंगाल भानपुर रेलवे श्रमिक संघ के उच्च पदों को सुशेभित किया तथा जल्द ही अपनी योग्यता एवं अद्भुत साहस से अंतरप्रांतीय राजनीतिज्ञों के प्रमुख बन गये। प्रारंभ में आपका झुकाव स्वराज्य पार्टी की ओर रहा परन्तु 1928 में आप महात्मा गांधी से प्रभावित होकर कांग्रेस में आ गये।बिलासपुर अंचल में जागृति पैलाने हेतु आपने रामलीला के मंच से राष्ट्रीय रामायण का अभिनव प्रयोग किया। 1932 ई. में असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण आपको 2500 रुपये अर्थदण्ड पटाना पड़ा। आप 1932 ई. में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य व 1932 ई. में संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष भी रहे। सविनय अवज्ञा आंदोलन में आपने महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया। आपका कार्य मुख्यतः जनता के मध्य था। 1937 में कांग्रेस प्रत्याशी के रुप में विजयी होने पर विधायक रहे तथा 1946 में संविधान सभा के सदस्य रहे। सन् 1956 ई. में आपका निधन हो गया।

कांकेर ने भी अन्य रियासतों की तरह अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की, जिससे सितंबर 1947 में कांकेर राज्य कांग्रेस का गठन हुआ। ठाकुर रामप्रसाद पोटाई शिक्षा को काफी महत्व दिया करते थे। उन्होंने उस दौर में हेड मास्टर के लिए अलग से मकान बना के दिया था। ताकि बच्चों को पढ़ाई में कोई दिक्कत न हो। ठाकुर पोटाई के साथ किशोरी मोहन त्रिपाठी ने मध्य प्रांत की रियासतों के विलय की मांग का मेमोरेंडम सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपा था। ठाकुर राम प्रसाद पोटाई का निधन 6 नवंबर 1962 को हुआ।

ठाकुर राम प्रसाद पोटाई

ठाकुर राम प्रसाद पोटाई का जन्म 1920 में कांकेर जिले के कन्हारपुरी गांव में हुआ था, वे एक प्रमुख गांधीवादी नेता के रूप में उभरे। उनके पिता घनश्याम पोटाई कांकेर क्षेत्र के एक समृद्ध व्यापारी थे। राम की प्रारंभिक शिक्षा कांकेर रियासत के कॉफर्ड हाई स्कूल में हुई, लेकिन ज्ञान की प्यास ने उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया, जिसके परिणामस्वरूप उन्होंने नागपुर के मॉरिस कॉलेज से बीए और एलएलबी की डिग्री प्राप्त की, जो इस क्षेत्र के पहले आदिवासी छात्र के रूप में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर था, जिसने एलएलबी परीक्षा उत्तीर्ण की। ब्रिटिश छत्तीसगढ़ की रियासतों में ब्रिटिश शासन और सामंतवाद के खिलाफ उग्र प्रतिरोध के बीच, पोटाई ने कांकेर राज्य के लोगों को अटूट नेतृत्व प्रदान किया। 1939 में, राम प्रसाद ने कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में भाग लिया, जो शुरू में सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा से जुड़ा था, और बाद में,

लुधियाना कांग्रेस अधिवेशन में, उन्हें गांधीजी से नई प्रेरणा मिली, जिसने रियासती कृषक प्रजा परिषद के गठन की दिशा में उनके प्रयासों को गति दी। 1942 और 1946 के बीच, पोटाई ने कांकेर, नरहरपुर और भानुप्रतापपुर में युवा कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर 'गांधीवादी राष्ट्रीय वाचनालय और खादी प्रचारक क्लब' की स्थापना करके खुद को राष्ट्रवादी उद्देश्यों के लिए समर्पित कर दिया। वर्ष 1946 में कांकेर रियासत-किसान सभा की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य रियासत के विलय के लिए किसानों और ग्रामीण युवाओं को संगठित करना था। अगस्त 1947 में जब भारत स्वतंत्रता का जश्न मना रहा था, तब

पं. किशोरी मोहन त्रिपाठी

रायगढ़ निवासी पं. किशोरी मोहन त्रिपाठी भी भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे। बाल श्रम को रोकने और महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के अनुरूप पंचायती राज स्थापना जैसे विषयों को शामिल करने में पं. त्रिपाठी की अहम भूमिका रही।

गौरी शंकर श्रीवास

अनारक्षित सीटों पर ओबीसी के पास अधिक अवसर हैं

अगस्त 14-15 की दरम्यानी रात हम भारत के लोगों ने नियति से एक करार किया था। वह करार जिससे भारत वह बन जाना था जैसा बनना वह डिजर्व करता था। बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो रास्ता दिखाया, उसकी रोशनी में यह तय किया गया कि हम अवसर की स्वतंत्रता का करार करेंगे नियति से। आरक्षण जैसे शब्द को मान्यता देकर वास्तव में सामाजिक न्याय की दिशा में तब भारत ने एक बड़ा कदम बढ़ा दिया था।

आगे की राह हालांकि तब भी कठिन रहनी ही थी। विधायिका आदि में तो अनुसूचित वर्गों को भागीदारी मिल भी गयी थी, किंतु आगे 'पिछड़े वर्ग' के लोगों की प्रतीक्षा फिर भी थोड़ी और लम्बी खिची थी। तब की कांग्रेस सरकार द्वारा 'कालेलकर आयोग' की अनुशंसा को ठंडे बस्ते में डाल देने के बाद आगे फिर 'मंडल आयोग' तक का इंतज़ार करना पड़ा। यहां यह ध्यान देने की बात है कि आरक्षण के विषय में किए जाने वाले दुष्प्रचार में निहित स्वार्थी तत्वों द्वारा अक्सर कांग्रेस को मसीहा जबकि भाजपा को खलनायक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जबकि सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। जिस मंडल आयोग ने पिछड़े वर्ग के आरक्षण की राह प्रशस्त की, उसका गठन 'जनता पार्टी' की सरकार ने 1979 में किया था जिसमें भाजपा की पूर्ववर्ती पार्टी 'भारतीय जनसंघ' समाहित था, और जब वीपी सिंह सरकार द्वारा 1990 में यह सिफारिशें लागू की गयी तब भी भाजपा के समर्थन वाली ही वह सरकार थी। दोनों बार कांग्रेस न केवल विपक्ष में थी, अपितु उसने आरक्षण के प्रावधानों का जम कर विरोध भी किया था।

पंडित नेहरू से लेकर राजीव गांधी तक के आरक्षण विरोधी वक्तव्यों के अनेक संदर्भ आपको गाहे ब गाहे दिख भी जायेंगे। मसलन 1961 में मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र में पंडित नेहरु ने कहा था कि आरक्षण से अक्षमता और दोयम दर्जे का मानक पैदा होता है। इंदिरा गांधी ने मंडल आयोग की संस्तुति से किनारा कर लिया था। राजीव गांधी ने तो यहां तक कह दिया था कि आरक्षण से हम बुद्धुओं को बढ़ावा देते हैं।

ऐसा ही जब आप छत्तीसगढ़ की पिछली कांग्रेस सरकार के संदर्भ में देखेंगे तो आप पायेंगे कि अपने तुष्टीकरण की नीति के चलते आरक्षण पर बार-बार चर्चा तो करती थी, इस विषय पर राजनीति भी करती रही थी लेकिन भूपेश सरकार इस मामले में अतिरिक्त सावधान रहती थी कि उसे कहीं सचमुच में आरक्षण देना न पड़ जाय। इसी मानसिकता के कारण पहले तो बेमन से आरक्षण के आधे-अधूरे प्रावधान किए गए और फिर उसे न्यायालय में चुनौती दिला कर सभी तरह के आरक्षण को शून्य करा दिया गया था। फिर ओबीसी, एससी-एसटी दोनों मामलों में आरक्षण के विरुद्ध याचिका दायर करने वालों को बड़े-बड़े पद देकर पुरस्कृत भी किया गया। कांग्रेस शायद अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के दबाव में आरक्षण मामले को हार जाने के लिए इतना आतुर थी कि उसने उच्च न्यायालय में इस महत्वपूर्ण याचिका

भये प्रगट कृपाला दीनदयाला...

पर सुनवाई के दिन अपने महाधिवक्ता को ही अनुपस्थित करा दिया।

तो बात चाहे शासकीय सेवाओं में आरक्षण की हो या राजनीतिक प्रतिनिधित्व से सम्बंधित, हर मामले को केवल राजनीति का सबब बना देने का कांग्रेस के राष्ट्रीय-प्रादेशिक नेतृत्व का इतिहास रहा है। छत्तीसगढ़ में ही कथित क्वांटिफायबल डेटा के नाम पर क्या-क्या किया गया, इसके बारे में अलग से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। इसके उलट भाजपा सरकार के पुनः सत्ता में आने पर उसकी यह बड़ी चुनौती थी कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का सम्मान करते हुए भी एक ऐसा मध्य मार्ग तलाशा जाय, जहां हर वर्ग का समुचित प्रतिनिधित्व भी हो, और जिसे न्यायालय में भी उचित ठहराया जा सके।

दो अलग-अलग मामले 'विकास किसरनो गवली बनाम महाराष्ट्र सरकार' और 'सुरेश महाजन बनाम मध्यप्रदेश सरकार' मामले में कोर्ट का आदेश था कि ओबीसी आरक्षण देने से पहले सरकार को ट्रिपल टेस्ट से गुजरना है, इसके लिए आयोग बनाना होगा। इसी आदेश के अनुपलान में संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप विष्णुदेव साय जी की सरकार ने विश्वकर्मा आयोग का गठन किया, जिसके सैम्पल सर्वे के आधार पर सरकार ऐसा प्रावधान लेकर आयी है जिसमें सभी वर्गों का कल्याण निहित है। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो पिछड़े वर्ग का आरक्षण शून्य हो जाता जैसा कि झारखंड में बिना आरक्षण के वहां की सरकार ने कराया है। विडंबना ही है कि कांग्रेस गठबंधन की सरकार जहां झारखंड में कुठाराघात करती है आरक्षण पर, वहीं छत्तीसगढ़ में अनावश्यक राजनीति कर रही है। इसके उलट मध्यप्रदेश, बिहार, ओडिशा आदि राज्यों में उसी तरह चुनाव हुए हैं जैसे छत्तीसगढ़ में हो रहे हैं।

छत्तीसगढ़ के ऐसे अनुसूचित क्षेत्रों में जहां 50 प्रतिशत से अधिक जनजाति की संख्या के कारण अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण संभव नहीं है, के अलावा शेष क्षेत्रों में ट्रिपल टेस्ट के आधार पर आए आंकड़ों से सम्पूर्ण वैधानिक तरीके से आरक्षण किए गए हैं। इस नए प्रावधान से निगम क्षेत्र में जहां अन्य आरक्षित वर्ग की संख्या कम है, वहां पिछड़े वर्ग की सीटें बढ़ी हैं लेकिन पंचायतों में इसे थोड़ा नुकसान होता दिख रहा है, हालांकि यहां भी वास्तविक नुकसान इस वर्ग का कुछ नहीं होगा, यह तय है।

यहां यह ध्यान देने की बात है कि अनारक्षित और समान्य वर्ग में अंतर होता है। अनारक्षित से आशय यही है कि वहां सभी वर्ग के लोग चुनाव लड़ सकते हैं। जाहिर है, ऐसे चुनाव में सार्वाधिक संख्या होने के कारण अधिकाधिक पिछड़े समाज के लोग चुन कर आयेंगे ही। भाजपा जैसे राजनीतिक दल की प्रतिबद्धता भी इस मामले में यही है कि इस वर्ग को समुचित प्रतिनिधित्व मिले और अनारक्षित सीटों पर इन्हें अधिकाधिक अवसर मिले। आखिर अनारक्षित सीटों से लड़ कर ही नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। मोदी मंत्रिमंडल में सार्वाधिक 29 मंत्री इसी वर्ग से हैं। वर्तमान लोकसभा में रिकॉर्ड 138 सांसद ओबीसी वर्ग से हैं। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार में भी सार्वाधिक 6 मंत्री ओबीसी वर्ग से ही हैं। विगत विधानसभा चुनाव में भी भाजपा ने लगभग 40 प्रतिशत उम्मीदवार इसी वर्ग से उतारे थे। बात चाहे सांसदों की हो या महापौर की, हर अनारक्षित सीटों में आधे से अधिक प्रतिनिधि इसी समाज से आते हैं। भाजपा विधानसभा चुनाव में भी कुल 90 में से 51 अनारक्षित सीटों में दो तिहाई से अधिक टिकट इसी वर्ग को देती आयी है। छत्तीसगढ़ निर्माण के बाद 2018 ऐसा पहला चुनाव था जिसमें ओबीसी विधायकों की संख्या में काफी कमी आई, निस्संदेह ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कांग्रेस की एकतरफा जीत हुई थी, और हमेशा की तारः उसने इस वर्ग को काफी कम टिकट दिया था।

जिस मंडल आयोग ने पिछड़े वर्ग के आरक्षण की राह प्रशस्त की, उसका गठन 'जनता पार्टी' की सरकार ने 1979 में किया था जिसमें भाजपा की पूर्ववर्ती पार्टी 'भारतीय जनसंघ' समाहित था, और जब वीपी सिंह सरकार द्वारा 1990 में यह सिफारिशें लागू की गयी तब भी भाजपा के समर्थन वाली ही वह सरकार थी। दोनों बार कांग्रेस न केवल विपक्ष में थी, अपितु उसने आरक्षण के प्रावधानों का जम कर विरोध भी किया था।

ये सारे आंकडें इस बात की तस्दीक करते हैं कि समुचित भागीदारी के मामले में भाजपा का रिकॉर्ड किसी भी अन्य दल से अधिक बेहतर है। भाजपा की यही मंशा को मोदी सरकार के फैसले में देखा जा सकता है। बात चाहे मेडिकल/डेंटल शिक्षा में स्नातक और पीजी दोनों में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण देने की बात हो या ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने की बात जिसका कांग्रेस ने विरोध कर राज्यसभा में बिल गिरा भी दिया था, फिर उस संविधान संशोधन की जिसके तहत राज्यों को अपना ओबीसी सूची बनाने का अधिकार दिया गया है, हमेशा भाजपा ने सामाजिक न्याय और समावेशी समाज की दिशा में बढ़-चढ़ कर योगदान दिया है। अपने इसी रिकॉर्ड को कायम रखते हुए भाजपा सभी वर्गों की समुचित और न्यायपरक भागीदारी के साथ 'सबका साथ-सबका विश्वास' की अपनी प्रतिबद्धता से पीछे नहीं हटेगी, इसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है। ।•••

लेखक भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हैं।

समाज की समृद्धि के लिए हुई संविधान की रचना

डॉ. नवीन मार्कण्डेय

भारतीय संविधान, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, न केवल देश की कानूनी संरचना का आधार है, बल्कि यह भारत के नागरिकों के अधिकारों, कर्तव्यों और स्वतंत्रता की रक्षा भी करता है। संविधान को हमारे देश का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज़ माना जाता है, जो राष्ट्र की प्रगति और एकता का मार्गदर्शन करता है। संविधान ने एक समृद्ध और विविधता से भरे समाज में एकता की नींव रखी और राष्ट्र के विकास को मार्गदर्शन प्रदान किया। संविधान की महिमा और इसके सिद्धांतों को सम्मानित करने के लिए भारत सरकार ने संविधान गौरव अभियान की शुरुआत की, जो आज भी देशभर में विभिन्न रूपों में मनाया जाता है।

राज्य सरकार का संविधान गौरव अभियान न केवल राज्य की कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में काम करता है, बल्कि यह राज्य के नागरिकों को संविधान के प्रति उनके कर्तव्यों और अधिकारों के बारे में जागरूक करने का भी महत्वपूर्ण प्रयास है। संविधान गौरव के प्रति सरकार की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। राज्य की भाजपा सरकार ने संविधान की मूल भावना को जीवित रखने और उसे नागरिकों तक पहुँचाने के लिए कई कदम उठाए हैं।

1. संविधान के प्रति जागरूकता फैलाना: छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार ने संविधान के महत्व को जन-जन तक पहुँचाने के लिए कई जागरूकता अभियानों की शुरुआत की है। राज्य में स्कूलों, कॉलेजों और सार्वजनिक मंचों पर संविधान दिवस मनाने की परंपरा को बढ़ावा दिया गया है। इसके साथ ही, छात्रों और नागरिकों को संविधान के अधिकारों, कर्तव्यों और उद्देश्यों के बारे में समझाने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

2. संविधान के सिद्धांतों का पालन: छत्तीसगढ़ सरकार ने संविधान के प्रमुख सिद्धांतों जैसे समानता, स्वतंत्रता, भाईचारे और धर्मनिरपेक्षता का पालन करते हुए राज्य की नीतियाँ बनाई हैं। सरकार ने सामाजिक और आर्थिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की है, जैसे कि आरक्षण नीति, महिला सशक्तीकरण, गरीबों के लिए योजनाएँ, और अनुसूचित जाति व जनजाति सहित सर्व समुदाय के कल्याण के लिए विभिन्न कदम।

3. समाज में समरसता की दिशा में प्रयास: संविधान में दिए गए समानता और भाईचारे के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में जातिवाद, धर्मवाद और क्षेत्रवाद जैसी समस्याओं से निपटने के लिए कई सुधारात्मक कदम उठाए हैं। राज्य में विभिन्न समुदायों के बीच बेहतर समरसता और आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए योजनाएं बनाई गई हैं, जिनका उद्देश्य समाज के सभी वर्गों के उत्थान और विकास को सुनिश्चित करना है।

4. संविधान के तहत अधिकारों का संरक्षण: छत्तीसगढ़ सरकार ने संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों और न्याय के सिद्धांतों को सुनिश्चित करने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। उदाहरण के लिए, महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए विशेष योजनाओं का संचालन किया गया है। साथ ही, गरीब और पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए विशेष आरक्षण और कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया है।

5. संविधान की मूल भावना का सम्मान: संविधान की आत्मा को बनाए रखने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के नागरिकों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जिम्मेदार बनाया है। इसके साथ ही, सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 51A में वर्णित नागरिक कर्तव्यों को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रमों और अभियानों का आयोजन किया है, ताकि लोग अपने कर्तव्यों को समझें और उनका पालन करें। संविधान गौरव अभियान का एक अन्य उद्देश्य है संविधान के प्रति सम्मान और समझ का भाव बढ़ाना। छत्तीसगढ़ सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर संविधान के उद्देशिका और उसके प्रमुख प्रावधानों को प्रदर्शित करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। इसके साथ ही, राज्य सरकार ने संविधान के महत्व को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न सांस्कृतिक और शैक्षिक कार्यक्रमों का आयोजन किया है।

6. संविधान से जुड़े कर्तव्यों की शिक्षा: संविधान गौरव अभियान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा नागरिकों को उनके कर्तव्यों के बारे में जागरूक करना है। छत्तीसगढ़ में इस अभियान के माध्यम से नागरिकों को संविधान द्वारा दिए गए कर्तव्यों की शिक्षा देने का कार्य किया है। राज्य सरकार ने स्कूलों और कॉलेजों में इस विषय पर विशेष पाठ्यक्रमों का आयोजन किया है, ताकि युवा पीढ़ी को संविधान के प्रति न केवल अधिकार बल्कि कर्तव्य भी समझ में आएं।

7. संविधान के अधिकारों का संरक्षण: संविधान गौरव अभियान के अंतर्गत राज्य में यह सुनिश्चित किया है कि नागरिकों को उनके अधिकारों का पूरा संरक्षण मिले। संविधान के तहत मिलने वाले मूल अधिकार जैसे समानता का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और धार्मिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं। इसके अलावा, महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए विशेष कार्यक्रमों और नीतियों की शुरुआत की गई है। |•••

लेखक भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष हैं।

भये प्रगट कृपाला दीनदयाला...

सदैव अटल रहे अडिग: साय

भारतरत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जन्मशताब्दी पर भाजपा प्रदेश कार्यालय में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह सहित पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित की। इस मौके पर उनके जीवन दर्शन पर केन्द्रित फोटो प्रदर्शनी लगाया गया। इसके साथ ही स्मृति मंदिर में अटलजी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि कर श्रद्धांजलि दी गई।

इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस मौके पर कहा कि हम सब का परम सौभाग्य कि भारतरत्न अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में हम सब ने छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण की प्रक्रिया को करीब से देखा और मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं उनके साथ देश की सदन में उनके सहयोगी के तौर पर कार्य करने का अवसर मिला। वे अपने सिद्धांतों को लेकर अडिग थे। उनके जीवन का हर क्षण प्रेरणादायी है वह हर युग में छत्तीसगढ़ के निर्माता के साथ ही विकसित भारत के संकल्पवान पुरोधा के तौर पर याद किये जायेंगे। उन्होंने विकास की जिन आधारभूत योजनाओं की नींव रखी थी, उस दिशा में सतत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में गतिमान हैं। वनवासी समाज सहित सभी समाज के विकास के लिए वे सदैव संवेदनशील थे।

अटल जी ने वैश्विक मानचित्र में हमारा मान बढ़ाया : किरण देव

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष किरण सिंह देव ने कहा कि अटल जी ने भारतीय समाज के समग्र विकास को लेकर कई ऐसे महत्वपूर्ण फैसले लिए जिसके कारण हम सब समृद्धि का राह पर प्रशस्त हैं। पोखरण परीक्षण से लेकर हर क्षेत्र में प्रगति को नवगति देने का श्रेय अटल जी को जाता है। उन्होंने विश्व पटल पर भारत मा का मान बढ़ाया है। हर युग में उन्हें याद किया जायेगा।

अटल जी के जन्मशताब्दी पर पूरे प्रदेश में हुए विविध कार्यक्रम

अटल जी हमारे प्रेरणास्रोत थे: डॉ. रमन सिंह

विधानसभा के अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जनसंघ से लेकर भाजपा के स्थापना को लेकर महत्वपूर्ण कार्य किया है। वे हमारे कुल के श्रेष्ठ हैं उनके साथ बतौर केंद्रीय राज्य मंत्री मैंने काफी कुछ अपने जीवन में सीखा है। अटल जी हम सबके पालक के तौर पर सदैव वैचारिक रूप से हमारे बीच रहेंगे।

स्मृतियों को सजोना हमारा संकल्प : साव

उप मुख्यमंत्री अरूण साव ने कहा कि अटल जी छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण को लेकर जो ऐतिहासिक फैसला लिया हम हमेशा उनके ऋणी रहेंगे। उनके स्मृतियों को सैदव जीवंत रखने के लिए अटल जी के जन्मशताब्दी के अवसर पर हमने नगरीय निकाय क्षेत्रों में अटल परिसर विकसित करने का फैसला लिया है। ।•••

प्रदेशभर में मना उत्सव

भारत रत्न अटल जी की जन्म शताब्दी के अवसर पर पूरे प्रदेश में उत्सव मनाया गया। भाजपा प्रदेश कार्यालय में 100वीं जयंती के अवसर पर 100 दीप प्रज्वलित कर उनके पुनीत कार्यों को याद किया गया। इस मौके पर क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जाम्वाल जी ने कहा कि अटल जी के संकल्प हमें मजबूत राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित करते रहेंगे। उन्होंने विषम परिस्थितियों में भी प्रतिपक्ष में रहकर संगठन के विस्तार को लेकर कार्य किए। जिसके कारण हम आज शून्य से शिखर की ओर हैं और समाज के समृद्धि के लिए जुटे हुए हैं।

सबका एक ही सपना, घर हो एक अपना: शिवराज

आवासहीनों को घर देना हमारा लक्ष्य : साय

केन्द्रीय कृषि पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि केन्द्र में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और राज्य में विष्णुदेव साय की डबल इंजन सरकार प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए पूरी निष्ठा से कार्य कर रही है। वे दुर्ग जिले के नगपुरा में आयोजित 'मोर आवास मोर अधिकार' कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों के पैर पखार कर उनका अभिनंदन किया। केन्द्रीय मंत्री श्री चौहान ने छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 लाख 3 हजार 384 नए आवासों की घोषणा की।

केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों को आवास का वादा किया था, जो साकार हो रहा है। उन्होंने बताया कि देशभर में गरीबों को पक्के घर देने के इस ऐतिहासिक प्रयास के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में अब तक 8 लाख 47 हजार मकान पहले ही स्वीकृत किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा इस योजना को और अधिक समावेशी बनाने के लिए नई पात्रता मानदंड निर्धारित किया गया है, जिनमें अब अधिकतम आय सीमा बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दी गई है। इसके अलावा जिनके पास ढाई एकड़ सिंचित भूमि या पांच एकड़ असिंचित भूमि है, वे भी अब इस योजना के तहत पात्र होंगे। हितग्राही अब स्वयं भी अपने आवास हेतु आवेदन और सर्वेक्षण कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करोड़ों आवासहीन परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना आरंभ की थी। छत्तीसगढ़ में सुशासन की सरकार आई। डबल इंजन की सरकार बनी। हमने शपथ लेने के अगले ही दिन कैबिनेट की बैठक की 18 लाख आवास स्वीकृत कर दिये। इस निर्णय से छत्तीसगढ़ के लाखों हितग्राहियों के चेहरे में संतोष नजर आता है। उन्होंने जो मकान का सपना देखा था, वो अब पूरा हो रहा है।

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी को पूरा करते हुए छत्तीसगढ़ में 18 लाख आवास स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के सामंजस्य से प्रदेश में आवास और सड़क निर्माण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश के सभी पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा रहा है। पीएम जनमन योजना के तहत 32 हजार आवासों की स्वीकृति दी गई है और राज्य के हर गांव को पक्की सड़कों से जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि 2449 किलोमीटर लंबी सड़क परियोजनाओं के तहत छत्तीसगढ़ में ग्रामीण संपर्क को मजबूत किया जा रहा है। वहीं, केंद्रीय मंत्री श्री सिंह प्रवास के दौरान कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया।

कार्यक्रम में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष किरण देव, उपमुख्यमंत्री अरुण साव, वन मंत्री केदार कश्यप, कृषि मंत्री रामविचार नेताम, खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल, विधायक द्वय ललित चन्द्राकर, गजेन्द्र यादव, डोमनलाल कोर्सेवाड़ा, रिकेश सेन, ईश्वर साहू, दीपेश साहू और सुश्री भावना बोहरा सहित आवास योजना के लाभार्थी व पार्टी कार्यकर्ता, पदाधिकारी मौजूद थे। ।•••

भये प्रगट कृपाला दीनदयाला...

नव नियुक्त जिला अध्यक्षों को हार्दिक बधाई

भाजपा के संगठन जिलों में नियुक्ति हो चुकी है। नव नियुक्त जिलाध्यक्षों को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय व प्रदेश अध्यक्ष किरण देव, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जाम्वाल, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय सहित सभी पदाधिकारी, कार्यकताओं ने बधाई प्रेषित की है। संगठन पर्व के तहत भाजपा के संगठन जिलों में नियुक्ति से पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं में हर्ष है और सभी को उम्मीद है कि बेहतर व मजबूत संगठन के लिए नव नियुक्त जिला अध्यक्ष जुटेंगे। ऐसी सबने कामना की है। **दीप कमल** टीम की ओर से भी सभी नव नियुक्त जिलाध्यक्षों को हार्दिक शुभकामनाएं है।

रमेश सिंह ठाकुर
रायपुर (शहर)

श्याम नारंग
रायपुर (ग्रामीण)

आनंद यादव
बलौदाबाजार

अनिल चंद्राकर
गरियाबंद

येतराम साहू
महासमुंद

प्रकाश बैस
धमतरी

पुरुषोत्तम देवांगन
भिलाई

सुरेंद्र कौशिक
दुर्ग

अजय साहू
बेमेतरा

चेमन देशमुख
बालोद

नम्रता सिंह
मोहला-मानपुर

डॉ. बिशेसर साहू
खैरागढ़-छुईखदान

महेश जैन
कांकेर

सेवकराम नेताम
कोंडागांव

संध्या पवार
नारायणपुर

वेदप्रकाश पांडे
बस्तर

संतोष गुप्ता
दंतेवाड़ा

धनीराम बारसे
सुकमा

घासीराम नाग
बीजापुर

दीपक सिंह ठाकुर
बिलासपुर (शहर)

मोहित जायसवाल
बिलासपुर (ग्रामीण)

लाल जी यादव
गौरेला-पेंड्रा-मरवाही

दीनानाथ केशरवानी
मुंगेली

टिकेश्वर गबेल
सक्ती

अंबेश जांगड़े
जांजगीर-चांपा

मनोज शर्मा
कोरबा

ज्योति पटेल
सारंगढ़-बिलाईगढ़

अरुणधर दीवान
रायगढ़

भरत सिंह
जशपुर

भारत सिंह सिसोदिया
सरगुजा

मुरली मनोहर सोनी
सूरजपुर

ओमप्रकाश जायसवाल
बलरामपुर

चंपा देवी पावले
मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर

देवेंद्र तिवारी
कोरिया

कोमल सिंह राजपूत
राजनांदगांव

नगरीय निकाय व पंचायत चुनाव में हमारी जीत सुनिश्चित : साय

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नगरीय निकाय व त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर आयोजित भाजपा कार्यकर्ताओं को कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हम इन एक वर्षों में नगरीय निकायों एवं त्रि-स्तरीय पंचायती राज के माध्यम से आम जनों तक विकास योजनाओं को ले जाने में सफल रहे हैं। प्रदेश भर के नगरीय निकायों में 7 हजार करोड़ रूपए विकास कार्यों में खर्च किये गये हैं। तो वहीं त्रि-स्तरीय पंचायतों में विकास को लेकर धन की कोई कमी नहीं आई है।

जनमानस में हमारा विश्वास बढ़ा : देव

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष किरण सिंह देव ने कहा कि हमारे पास एक मजबूत संगठन का आधार है जिसके माध्यम से हम आगामी चुनाव में विरोधियों को हर स्तर पर परास्त करेंगे। प्रदेश में 60 लाख सदस्यता की लक्ष्य को हमने अर्जित किया है। पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता बधाई के पात्र हैं। हमें नरेन्द्र मोदी जी की गारंटी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में हुए विकास को अंतिम व्यक्ति तक ले जाना होगा। नगरीय निकाय व पंचायती संस्थाओं में विकास को लेकर प्रदेश सरकार ने अनुकरणीय कार्य किया है। उसी के एवज हमें जनता के बीच जाने की जरूरत है।

प्रगति को देंगे नवगति : जाम्वाल

प्रदेश क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जाम्वाल ने कहा कि भाजपा के पास योग्य उम्मीदवार व कार्यकर्ताओं की एक विशाल टोली है। जिनके माध्यम से हम नगरीय और पंचायत चुनाव में जनता के बीच जाएंगे। हर दृष्टि से विजयश्री की प्राप्ति के लिए हम सक्षम हैं। उन्नति और उत्थान के लिए भाजपा ही एक मजबूत विकल्प है। जनमानस के बीच भाजपा के प्रति अटूट विश्वास है और हमारी विजय निश्चित है।

सर्वत्र हम हो रहे मजबूत : नबीन

भाजपा प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जो सपना है पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक भाजपा का परचम फहराने का, आगामी नगरीय निकाय और त्रि-स्तरीय पंचायत चुनावों में हम सब उस सपने को साकार करने संकल्पित हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में जैसी प्रचंड जीत छत्तीसगढ़ में भाजपा को मिली, जनता-जनार्दन का वही विश्वास निस्संदेह हम फिर अर्जित करेंगे।

हमने शहरों की तस्वीर बदली है: साव

उपमुख्यमंत्री व नगरीय निकाय मंत्री अरूण साव ने कहा कि हमने नगरों के विकास के लिए मजबूत कार्य किया है। इस बात को कार्यकर्ताओं को जनता के बीच विकास योजनाओं को ले जाने की जरूरत है। कांग्रेस की सरकार में नगरीय निकाय संस्थाएं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। जनमानस बुनियादी समस्याओं से घिरा हुआ था लेकिन जब से भाजपा की सरकार बनी है तब से हम विकास को समाज के अंतिम व्यक्ति के बीच पहुंचाने में सफल हो रहे हैं।

हमने बेघरों को घर दिया : शर्मा

उपमुख्यमंत्री व ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा ने कहा हमने जो संकल्प चुनाव से पूर्व लिया था जिसे हमे लगातार पूर्ण कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास के तहत हर आवासहीनों को आवास दिया है। गांवों के विकास को लेकर हमने महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई हैं। हम सबका एक मात्र संकल्प है कि अटल जी के सपनों का छत्तीसगढ़ उनके उम्मीदों को मुताबिक हो, इस दिशा में हम लगातार गतिमान हैं। हमने गांवों का समग्र विकास किया है, विकास की इन्हीं तस्वीरों को लेकर जनता के बीच जाएं। |•••

भये प्रगट कृपाला दीनदयाला...

पूरे प्रदेश में होगा संविधान गौरव दिवस : चंदेल

संविधान गौरव दिवस अभियान के प्रदेश संयोजक पूर्व नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि कांग्रेस को तो हमेशा झूठ पसंद है और संविधान को लेकर भ्रामक जानकारी फैलाकर केवल जन आस्था के साथ मजाक कर रही है। संविधान हमारे लिए पवित्र ग्रंथ है जिसके माध्यम से हम सब सामाजिक समरसता के लिए कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस अभियान को सफल बनाने के लिए हम सबको मंडल स्तर तक जाना होगा।

संविधान को लेकर कांग्रेस ने हमेशा भ्रामक प्रचार कर रही है हमें जनता के बीच सत्य को लेकर जाना होगा। उन्होंने कहा केन्द्रीय नेतृत्व द्वारा तय कार्यक्रम के मुताबिक अंतर्गत 11 जनवरी से 25 जनवरी तक सभी प्रदेशों की राजधानी एवं प्रमुख केन्द्रों पर 50 गोष्ठियों का आयोजन किया जायेगा। जिला केन्द्रों में अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा 'हमारा संविधान-हमारा स्वाभिमान' पर गोष्ठियों का आयोजन किया जायेगा। स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय एवं सभी शिक्षण संस्थानों में हमारा संविधान पर केंद्रीत क्विज, निबंध एवं भाषण प्रतियोगिता का आयोजन होगा। युवा मोर्चा द्वारा छात्रावासों एवं कॉलेज संपर्क के माध्यम से युवाओं में भारत रत्न डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर के योगदान और भाजपा की संविधान के प्रति प्रतिबद्धता को प्रचारित किया जायेगा। इसके साथ ही समाज के हर वर्ग तक बाबा साहेब के विचारों को पहुंचाया जाएगा।

पिछड़ा वर्ग को मिलेगा पर्याप्त प्रतिनिधित्व : किरण देव

भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेशाध्यक्ष किरण देव ने घोषणा की कि यह सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया है कि अनारक्षित सीटों पर पिछड़े वर्ग को अधिक प्रतिनिधित्व देंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधित्व में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी।

प्रदेशाध्यक्ष श्री देव ने कहा कि कांग्रेस केवल झूठ की राजनीति करती है, वह मुद्दों के अभाव से जूझ रही है राजनीतिक पतन की तरफ बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने तो वास्तव में ओबीसी आरक्षण के विरोध में कोर्ट जाने वाले और ओबीसी का आरक्षण रोकने वाले लोगों को पुरस्कृत करने का काम किया है। भाजपा, कांग्रेस के सभी षडयंत्र उजागर करती रहेगी और कांग्रेस का झूठ अब चलने वाला नहीं है।

प्रेस वार्ता में उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने विस्तार से आरक्षण के प्रावधानों की जानकारी देते हुए कहा कि कांग्रेस हमेशा से ओबीसी विरोधी रही है। श्री साव ने कहा कांग्रेस हमेशा पिछड़ा वर्ग का विरोधी रही है। वह आरक्षण के खिलाफ रही है। तब की कांगेस सरकार द्वारा 'कालेलकर आयोग' की अनुशंसा को ठंडे बस्ते में डाल देने के बाद आगे फिर 'मंडल आयोग' तक का इंतज़ार करना पड़ा।

पंडित नेहरू से लेकर राजीव गांधी तक के आरक्षण विरोधी वक्तव्यों के अनेक संदर्भ आपको गाहे ब गाहे दिख भी जायेंगे। मसलन 1961 में मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र में पंडित नेहरु ने कहा था कि आरक्षण से अक्षमता और दोयम दर्जे का मानक पैदा होता है। इंदिरा गांधी ने मंडल आयोग की संस्तुति से किनारा कर लिया था। राजीव गांधी ने तो यहां तक कह दिया था कि आरक्षण से हम बुद्धुओं को बढ़ावा देते हैं। इस प्रकार बार-बार प्रमाणित हुआ है कि कांग्रेस पूरी तरीके से आरक्षण विरोधी रही है।

पुरखों को प्रणाम

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष कुशाभाऊ ठाकरे व मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सुंदर लाल पटवा की पुण्यतिथि व पूर्व केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली की जयंती पर उन्हें सादर नमन किया।

प्रदेशाध्यक्ष जी को हार्दिक शुभकामनाएं

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष किरण देव को प्रदेश अध्यक्ष पद पर सफल एक वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करने पर भाजपा प्रदेश सोशल मीडिया टीम के सदस्यों स्मृति चिन्ह भेंट कर उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं दी। प्रदेशाध्यक्ष श्री देव ने प्रदेशभर के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों व आमजनों से मिले शुभकामनाओं के लिए सभी का आभार माना है।

कांग्रेस आगामी पराजय से परेशान हैः सवन्नी

भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष और नगरीय निकाय चुनाव प्रभारी भूपेन्द्र सवन्नी ने निकाय चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि एक तो कांग्रेस नेतृत्व, कार्यकर्ता और मुद्दों के संकट से जूझ रही है, वहीं अब पार्षद पद के दावेदारों के लिए आवेदन के साथ पाँच माह का वेतन जमा करने की अनिवार्यता के बाद कांग्रेस को निकाय चुनावों में उम्मीदवारों के संकट से और भी जूझना पड़ेगा। यह कांग्रेस की राजनीतिक, वैचारिक सुनापन को स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त है। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष सवन्नी ने कहा कि लगातार हार से कांग्रेस टूट और बिखर चुकी है। भाजपा ने विधानसभा व लोकसभा और, उपचुनाव में कांग्रेस को पटखनी दी है, रायपुर दक्षिण उपचुनाव में भी कांग्रेस बुरी तरह हारी है। भाजपा को जितने वोटों से जीत मिली, उतना वोट भी कांग्रेस को नहीं मिल पाया। वहीं संगठन चुनाव में भी भाजपा ने तेज गति से नियुक्तियां कर नगरीय निकाय चुनाव में तैयारी को लेकर भी बड़ी बढ़त बना ली है।

कमेटी की घोषणा

भाजपा ने नगरीय निकाय चुनाव हेतु घोषित समिति के प्रदेश संयोजक भूपेंद्र सवन्नी को बनाया गया है। कमेटी में प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव, जगदीश रामू रोहरा, रामजी भारती, महेश गागड़ा, अनुराग सिंह देव, प्रफुल्ल विश्वकर्मा, छगनलाल मूंदड़ा, दीपक महस्के, अमित चिमनानी शामिल हैं। साथ ही अन्य कमेटियों की भी घोषणा की जा चुकी है।

भये प्रगट कृपाला दीनदयाला...

पंचायत चुनाव में हमारी होगी विशाल विजय : सौरभ सिंह

त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव के प्रदेश प्रभारी व पूर्व विधायक सौरभ सिंह ने कहा कि जिन कार्यकर्ताओं ने पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनावों में भाजपा को अभूतपूर्व जीत दिलाई अब उन कार्यकर्ताओं का यह चुनाव है और हमको आगे बढ़कर उनके लिए काम करना है। पंचायत चुनाव में "पंच से लेकर प्रधानमंत्री तक भाजपा' इस दृष्टि से हमको काम करने की आवश्यकता है। नगरी निकाय का चुनाव पार्टी चिन्ह में होगा और पंचायत का चुनाव पार्टी चिन्ह में नहीं होगा तो उस स्थिति में पंच से लेकर जिला पंचायत के सदस्य तक अगर एक कार्यकर्ता लड़ेगा तो पूरी भाजपा को वोट मिलेगा और वहां पर भाजपा ही जीतेगा। पूर्व विधायक श्री सिंह ने प्रधानमंत्री आवास के हितग्राहियों से चर्चा करने और महतारी वंदन योजना को लेकर जनता के बीच जाने की अपील भी की।

समिति बनाई गई

भाजपा द्वारा पंचायत चुनावों के लिए घोषित प्रदेश समिति के संयोजक सौरभ सिंह बनाए गए हैं। 19 सदस्यीय इस समिति में प्रदेश महामंत्री भरत लाल वर्मा, जगन्नाथ पाणिग्राही, राजा पांडेय, अखिलेश सोनी, नीलकण्ठ टेकाम, निरंजन सिन्हा, ललित चन्द्राकर, श्रीमती शालिनी राजपूत, आशाराम नेताम, श्रीमती अलका चन्द्राकर, सतीश लाटिया, रामकुमार भट्ट, दीपक म्हस्के, डॉ. किरण बघेल, वैभव बैस, अनुराग अग्रवाल, सुनील पिल्लई, आकाश विग को समिति का सदस्य बनाया गया है।

गरियाबंद जिला कार्यालय का लोकार्पण

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के गरिमामयी उपस्थिति में गरियाबंद जिला भाजपा कार्यालय का लोकार्पण हुआ। इस दौरान प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय, मंत्री दयाल दास बघेल, सांसद रूपकुमारी चौधरी, प्रदेश कोषाध्यक्ष नंदन जैन, भाजपा पूर्व संगठन महामंत्री रामप्रताप सिंह सहित पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे।

पदभार ग्रहण

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बालोद जिला कार्यालय के लोकार्पण उपरांत नवनियुक्त जिला अध्यक्ष चेमन देशमुख को विधिवत पदभार ग्रहण करवाया। इस दौरान उपमुख्यमंत्र अरुण साव, सांसद भोजराज नाग सहित पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे।

संगठन शिल्पी लखीराम अग्रवाल जी

भाजपा को जन-जन से जोड़ने वाले नेता थे लखीराम अग्रवाल

13 फरवरी 1932
24 जनवरी 2009

श्रद्धेय अटल जी व कुशाभाऊ जी के साथ लखीराम जी की दुर्लभ तस्वीर।

छत्तीसगढ़ समेत देश के कोने-कोने में भाजपा को आज लोगों का जो स्नेह और विश्वास प्राप्त है, उसके पीछे अंत्योदय की साधना में समर्पित ऐसे पुष्प हैं, जिनकी प्रतिबद्धता, कर्मठता एवं संकल्प की सुगंध उनके इह लोक से विदा होने के बाद भी आज लोगों को प्रेरित करती है। श्रद्धेय लखीराम अग्रवाल जी ऐसे ही एक राजनीतिक ऋषि हैं। छत्तीसगढ़ भाजपा के पितृपुरुष कहे जाने वाले श्री लखीराम जी जन्म 13 फरवरी 1932 को माता श्रीमती रुक्मणी देवी व पिता श्री मनसा अग्रवाल जी के यहां हुआ। प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने नहरपाली विद्यालय खरसिया में अर्जित की। सक्रिय राजनीति में उन्होंने 1960 में कदम रखा। खरसिया नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में राजनीति से शुरू हुई। सार्वजनिक जीवन की यात्रा प्रदेश भाजपाध्यक्ष एवं राज्यसभा सदस्य के रूप में जनकल्याण के लिए समर्पित रही। बताते हैं कि श्री लखीराम अग्रवाल को राजनीति में लाने का श्रेय श्रद्धेय श्री कुशाभाऊ ठाकरे को जाते है, उनसे हुई एक मुलाकात के बाद ही उन्होंने राजनीति के माध्यम से समाज में कुछ करने का मानस तैयार कर लिया था। 1977 में आपातकाल के दौरान उन्हें जेल भी जाना पड़ा। उन्हें भाजपा मध्य प्रदेश का प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया, इस दौरान अविभाजित मध्यप्रदेश में उन्होंने संगठन को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर प्रवास किया। यहां तक कि कांग्रेस जब अपने शिखर पर थी, यहां तक की प्रशासन का काफी दबाव रहता था, ऐसे समय में लखीराम अग्रवाल जी ने लोगों को चुनाव मैदान में जनसंघ के चिन्ह दीया से चुनाव लड़ने के लिए तैयार करते थे। चुनाव के दौरान अटल जी, मुरली मनोहर जोशी सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता प्रचार के लिए छत्तीसगढ़ आते थे। स्वयं ही लखीराम अग्रवाल जी सारी व्यवस्थाओं का कमान खुद संभालते थे।

श्रद्धेय लखीराम अग्रवाल की पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण में अहम भूमिका रही। राज्यसभा में इस मुददे को उठाने के साथ प्रदेश में इसे स्वर देने में वह अग्रणी रहे। 24 जनवरी 2009 को बिलासपुर में उनका देवलोकगमन हुआ, लेकिन अपनी कार्यशैली, वैचारिक निष्ठा एवं संगठन के प्रति समर्पण भाव के लिए वह आज भी भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए प्रेरणास्रोत हैं। आज प्रदेश में श्री लखीराम अग्रवाल की स्मृति में अनेक सेवा प्रकल्प संचालित हो रहे हैं। रायगढ़ में उनकी स्मृति में स्व. लखीराम अग्रवाल के स्मृति में शासकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई है।

हम सबको संस्कारित किए हैं

"श्रद्धेय लखीराम अग्रवाल जी ने अविभाजित मध्यप्रदेश से छत्तीसगढ़ तक संगठन के विस्तार को लेकर अनुकरणीय कार्य किए। उन्होंने संगठन में नव सृजन कर हम जैसे कई भाजपा के कार्यकर्ताओं को जोड़ा, जिस समय राष्ट्रवादी विचार के विस्तार के लिए कम लोग ही जुटते थे। वे सदैव हमारे प्रेरणास्रोत व अभिभावक के तौर पर स्मृतियों में चिरस्थाई रहेंगे।"

-धरमलाल कौशिक,
पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, छत्तीसगढ़

पत्रिका दीप कमल के इस अंक का पीडीएफ प्राप्त करने के लिए कृपया QR कोड स्केन करें।

निवेदन

दीप कमल से संबंधित कोई भी सुझाव या शिकायत हो तो आप नीचे दिए गए पते पर भेज सकते हैं। फोन या मोबाइल नंबर पर भी जानकारी दे सकते हैं। ईमेल भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपके क्षेत्र में संगठन से संबंधित कोई गतिविधि या पत्रिका में प्रकाशन योग्य कोई समाचार हो, तो उसे भी निम्नलिखित माध्यमों से भेजने का आग्रह है।

प्रबंध संपादक, दीप कमल, प्रदेश भाजपा कार्यालय, कुशाभाऊ ठाकरे परिसर
डूमरतराई, रायपुर। (छत्तीसगढ़), मोबाइल नं. : 92016-33511, फोन : 0771-2233500
Email : mydeepkamal@gmail.com

नर सेवा...

...नैनन के जल से पग धोए

केंद्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों का पांव पखारकर अभिनंदन किया। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री द्वय अरूण साव और विजय शर्मा, कृषि मंत्री रामविचार नेताम, विधायक ललित चंद्राकर सहित अन्य अतिथियों ने भी पुण्यलाभ प्राप्त किया।

...नारायण सेवा

RNI No.CHHHIN/2004/13926

डाक पंजी. क्रमांक : छ.ग./रायपुर संभाग/78/2023-25

प्रणाम